

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(कंडिका 2.4.32 के संदर्भ में)
लाभार्थी सर्वेक्षण प्रश्नावली

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश भोपाल

विषय: ई-पंजीयन प्रक्रिया के संबंध में सर्वे।

मध्यप्रदेश राज्य में ई-पंजीयन के माध्यम से विलेखों के ऑन लाइन पंजीयन की सुविधा दिसम्बर 2014/अगस्त 2015 से पूरे राज्य में प्रारंभ कर दी गई है। जिससे नागरिक अपने विलेखों के पंजीयन कार्य को सुगमता से पूर्ण कर सकें। उक्त संबंध में आम जनता/सर्विस प्रोवाइडर से निम्न जानकारी वांछित है –

नागरिकों के लिये

1. क्या आपको विलेखों के ऑन लाइन पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी है ? – हां/नहीं
2. क्या इस नई प्रक्रिया में आपको असुविधा हो रही है ? – हां/नहीं
3. क्या इस नई प्रक्रिया में पंजीयन के दौरान आपको पंजीयन कार्यालय में पूर्ण सहायता, सुविधा तथा सहयोग प्राप्त हो रहा है ? – हां/नहीं
4. क्या पंजीयन फीस नगद जमा करने हेतु कोई बाध्यता है ? – हां/नहीं
5. क्या आपने नई प्रणाली में किसी अभिलेख को ऑनलाईन पंजीकृत किया है ? पंजीयन प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण हुई एवं पूर्ण होने के बाद कितने समय में दस्तावेज प्राप्त हुए ? – हां/नहीं
6. क्या आप विलेखों के ऑन लाइन पंजीयन की सुविधा से संतुष्ट हैं ? – हां/नहीं
7. अन्य कोई टीप जो आवश्यक हो ?

नाम एवं हस्ताक्षर

सर्विस प्रोवाइडर के लिये

1. क्या आप ई-पंजीयन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं ? – हां/नहीं
2. क्या आपके द्वारा दर्ज शिकायतों का निवारण शीघ्र किया गया है ? – हां/नहीं
3. क्या आप बी एम सी टिकटिंग टूल सिस्टम से संतुष्ट हैं ? – हां/नहीं
4. अन्य कोई प्रकरण/शिकायत जिनका निराकरण न हुआ हो ? – हां/नहीं
5. क्या आपको क्रेडिट लिमिट संबंधी कोई शिकायत है ? – हां/नहीं
6. अन्य कोई टीप जो आवश्यक हो ?

**नाम
एवं हस्ताक्षर**

परिशिष्ट-II
(कंडिका 2.4.32 के संदर्भ में)
लाभार्थी सर्वेक्षण – सारांश

क्र. स.	जिलों का नाम जहां लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया	वितरित फार्मों की संख्या	कुल वापस प्राप्त फार्म	नकारात्मक प्रतिक्रिया की प्राप्ति		
				सेवाप्रदाता	नागरिक	कुल नकारात्मक प्रतिक्रिया
1	बुरहानपुर	10	3	2	.	2
2	शाजापुर	15	4	2	.	2
3	ग्वालियर	30	10	4	1	5
4	देवास	30	20	6	5	11
5	इंदौर	35	18	2	7	9
6	भोपाल	35	28	5	7	12
7	सीहोर	15	18	5	4	9
8	धार	15	14	4	3	7
9	उज्जैन	15	14	4	4	8
10	जबलपुर	30	12	2	5	7
11	टीकमगढ़	10	1	1	0	1
कुल		240	142	37	36	73

परिशिष्ट – III
(कंडिका 2.12 के संदर्भ में)
विलेखों के गलत वर्गीकरण से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन का कम आरोपण

क्र. स.	लेखापरीक्षा इकाई का नाम एवं अवधि	अनियमितता की प्रकृति	विलेखों की कुल संख्या	पंजीकृत मूल्य / गाईडलाइन के अनुसार मूल्य	आरोपणीय मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	अंतर मुद्रांक शुल्क / पंजीयन फीस	कुल राशि
1	उप पंजीयक जबलपुर-1 04/14 से 03/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	1	<u>10267000</u> 10266900	<u>474845</u> 82140	<u>256700</u> 82140	<u>218145</u> -	2.18 लाख
2	उप पंजीयक जबलपुर-2 04/14 से 03/15	हस्तांतरण पत्र को मोचन विलेख माना गया	1	<u>7100000</u> 7100000	<u>355000</u> 56975	<u>71000</u> 56975	<u>284000</u> -	2.84 लाख
3	उप पंजीयक ग्वालियर-1 4/14 से 3/15	विभिन्न प्रकार के विलेखों को एक ही श्रेणी का माना गया	1	-- -- -- 23149628	<u>1157581</u> 185442	<u>100</u> 100	<u>1157481</u> 185342	13.43 लाख
4	उप पंजीयक इन्दौर-4 4/14 से 3/15	दान-पत्र को मोचन विलेख माना गया	1	<u>2405000</u> 2405000	<u>171356</u> -	<u>96200</u> -	<u>75156</u> -	0.75 लाख
5	उप पंजीयक बड़वानी 4/12 से 3/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	1	<u>9948000</u> 9948000	<u>708795</u> 79585	<u>454000</u> 79585	<u>254795</u> -	2.55 लाख
6	उप पंजीयक शहडोल 03/14 से 03/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	2	<u>11633000</u> 15411960	<u>1010211</u> 123615	<u>291000</u> 93070	<u>719211</u> 30545	7.50 लाख
7	उप पंजीयक शाजापुर 4/13 से 3/15	दान-पत्र को विभाजन विलेख माना गया	1	<u>6966000</u> 6966000	<u>337416</u> 34830	<u>248170</u> 34830	<u>89246</u> -	0.89 लाख
योग			8	<u>48319000</u> 75247488	<u>4215204</u> 562587	<u>1417170</u> 346700	<u>2798034</u> 215887	30.14 लाख

परिशिष्ट-IV

(कंडिका 2.15 के संदर्भ में)

खनिज पट्टों के नवीनीकरण में बाजार मूल्य से कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

ग्रंथ/दस्तावेज क्रमांक व दिनांक	पट्टादाता/पट्टाधारी	पट्टा की अवधि	भूमि का वर्णन	गाईडलाइन के अनुसार पंजीकृत मूल्य	आरोपणीय मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस की कमी
2644 / 137 / 28.04.15	कलेक्टर (खनन) पन्ना/एन एम डी सी लिमिटेड, हीरा उत्खनन परियोजना, पन्ना	15.07.05 से 14.07.2025 (20 वर्ष)	ग्राम मझगवां, तहसील पन्ना क्षेत्रफल 29.546 हेक्टेयर एवं ग्राम हिनौता तहसील पन्ना क्षेत्रफल 83.834 हेक्टेयर कुल भूमि क्षेत्रफल 113.38 हेक्टेयर कलेक्टर गाईडलाइन 2014-15 के अनुसार	7,64,99,100 9,82,36,123	39,29,445 29,47,084	30,59,964 22,94,973	8,69,481 6,52,111
दस्तावेज प्रस्तुति दि. 25.03.15	पट्टा करार निष्पादन तिथि 31.01.2015		सिंचित भूमि की दर 450000 प्रति हेक्टेयर ग्राम मझगवां (29.546 X 450000 X 1.5 = 1,99,43,550) और सिंचित भूमि की दर 622600 प्रति हेक्टेयर ग्राम हिनौता (83.834 X 622600 X 1.5 = 7,82,92,573) योग 19943550 + 78292573 = 9,82,36,123				
						योग	15,21,592 अर्थात् 15,22 लाख

परिशिष्ट-V
(कंडिका 3.3.7.3 के संदर्भ में)
मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 के अर्न्तगत शास्ति की त्रुटिपूर्ण छूट

(₹ लाख में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी का विवरण	परिवहनकर्ता का नाम/वाहन क्रमांक	अपील प्रकरण क्रमांक/अपील आदेश का दिनांक	छूट दी गयी शास्ति की राशि	लेखारीक्षा आपत्ति	अपीलीय प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) जबलपुर	मेसर्स डोरसेल लाजिस्टिक/यू.पी. 71बी.-5514	721 / 12 04.05.13	4.70	कर निर्धारण प्राधिकारी ने शास्ति का सही निरूपण किया गया था क्योंकि प्रपत्र-49 जो कि चैकपोस्ट से पास किया गया था वाहन के साथ नहीं पाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपूर्ण प्रपत्र के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि विभागीय पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रपत्र-49 को चैकपोस्ट से पास करवाने की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम की धारा 57(8) के स्पष्टीकरण के अधीन छूटप्रदाय की गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रपत्र-49 पूर्ण रूप से डाउनलोड नहीं था तथा उचित रूप से इलेक्ट्रानिकली भरा हुआ नहीं था और चैक पोस्ट से पास नहीं किया गया था।
2.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) जबलपुर	मेसर्स एस.के. कारगो/एम.पी. 28 बी-2055	277 / 13 28.05.13	4.39	कर निर्धारण प्राधिकारी ने शास्ति का सही निरूपण किया गया था क्योंकि प्रपत्र-49 जो कि चैकपोस्ट से पास किया गया था वाहन के साथ नहीं पाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपूर्ण प्रपत्र के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि विभागीय पोर्टल से डाउनलोड किये गये प्रपत्र-49 को चैकपोस्ट से पास करवाने की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम की धारा 57 (8) के स्पष्टीकरण के अधीन छूट प्रदान की गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रपत्र-49 पूर्ण रूप से डाउनलोड नहीं था तथा उचित रूप से इलेक्ट्रानिकली भरा हुआ नहीं था और चैक पोस्ट से पास नहीं किया गया था।

3.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स सीटीओ कैरियर लिमिटेड दिल्ली / एम.पी. 15 / एम.ए. / 1001	687 / 2011 04.11.11	5.61	कर निर्धारण प्राधिकारी ने शास्ति का सही निरूपण किया गया था क्योंकि प्रपत्र-49 जो कि चेकपोस्ट से पास किया गया था वाहन के साथ नहीं पाया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपूर्ण प्रपत्र के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात् छूट स्वीकार की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रपत्र-49 पूर्ण रूप से डाउनलोड नहीं था तथा उचित रूप से इलेक्ट्रानिकली भरा हुआ नहीं था और चेक पोस्ट से पास नहीं किया गया था।
4.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स घुरैया फ्रैंट कैरियर मुरैना एम. पी. 06 एच.सी. 0276	441 / 11 22.08.12	3.76	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संदिग्ध देयक में दर्शाये गये क्रेता के क्रय से इनकार करने के आधार पर शास्ति का सही निरूपण किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने उपरोक्त देयक के आधार पर शास्ति की छूट दे दी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात् छूट स्वीकार की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने वास्तविक क्रेता या विक्रेता के सत्यापन के बिना अपील आदेश पारित किया, बीजक भी संदिग्ध था।
5.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स सिद्धिविनायक लाजिस्टिक लिमिटेड कोलकाता वाहन क्रमांक एन.एल. 01के. / 8638 एन.एल.01के. / 8636 एन.एल.01के. / 8635 एन.एल.01के. / 8541 2012-13	147 / 13 प्र.क. 153 / 13 वेट 146 / 13 प्र.क. 150 / 13 वेट 152 / 13 प्र.क. 151 / 13 वेट 148 / 13 वेट 149 / 13 प्र.क. 05.03.14	6.24 6.20 6.24 5.93	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तक्रर दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी एवं तकनीकी / लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जुर्माना लगाया है। अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि प्रेषक एवं प्रेषितीय एक ही है और फर्म द्वारा अमिश्रित चाय का अन्तरण गुवाहाटी से किया गया और चाय के मिश्रण तथा पैकिंग के बाद मध्यप्रदेश में और राज्य के बाहर विक्रय किया गया एवं अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के पक्ष में अपील यह विचार करते हुये स्वीकार की कि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 नया था और उसी प्रविष्टि के साथ प्रपत्र-49 का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है तथा यह केवल लिपिकीय त्रुटि है। यद्यपि जांच चौकी अधिकारी ने परिवहन कर्ता पर नकली	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर (मई 2016) में बताया कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा। पुनः उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

					प्रपत्र-49 (उपयोग किया गया, अधूरा डाउनलोड और जोड़-तोड़ किये हुये प्रपत्र) जो चार वाहन मध्यप्रदेश में अमिशीत चाय के परिवहन के लिये प्रवेश करने और वाहनों के जब्त करने 12 दिनों के बाद संबंधित प्रपत्र-49 डाउनलोड किये जाने के आधार पर शास्ति का सही अधिरोपण किया गया। इसलिये परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है।	
6.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स डेक्कन सेल्स एण्ड कारपोरेशन सर्विस प्रा. लि. ट्रांसपोर्ट मेसर्स एसोसिएट रोड कैरियर जी. एच. 01 सी.यू. 9463	407 / 13 408 / 13 23.09.14	4.48	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी एवं तकनीकी/लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जुर्माना लगाया है। अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि उसने एक प्रपत्र-49 डाउनलोड किया था जिसे कर्मचारी की गलती के कारण दो व्यापारियों को उक्त प्रपत्र-49 मेल कर दिया गया। प्रथम चेकपोस्ट अधिकारी की लापरवाही से वाहन क्रमांक जी. एच. 01 सी.यू. 9463 से संबंधित प्रपत्र-49 पास कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर छूट प्रदान की गई। व्यापारी की मंशा संदिग्ध था क्योंकि उसने केवल एक अधूरा प्रपत्र-49 डाउनलोड किया और दो व्यवहारों में उसका उपयोग किया और प्रथम बार उपयोग किया प्रपत्र-49 अपील नस्ती में सत्यापन हेतु संलग्न नहीं पाया गया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा। पुनः उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
7.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स आवागमन रोड कैरियर लि. मेसर्स समबायड फार्मा लैब लि. जी. जे. 01 बी. वाय. 5236	690 / 14 वेट 689 / 14 प्र.क. 24. 02.15	27.81	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसके द्वारा पूंजीगत सामग्री का आयात स्थापना के लिये किया जा रहा था न कि विक्रय के लिये किया जा रहा था। वाहन जप्त किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि धारा 57(2) "स्पष्टीकरण उपबंध" के अनुसार कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि सामग्री मध्यप्रदेश में विक्रय नहीं हुआ था, इसलिये शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है।

					स्वीकार की और शास्ति से छूट प्रदान की। यद्यपि चेकपोस्ट अधिकारी ने अनिवार्य प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं करने के कारण, परिवहनकर्ता के कर अपवंचन की मंशा प्रमाणित होने के आधार पर परिवहनकर्ता पर शास्ति सही निरूपित की थी।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और प्रपत्र-49 के डाउनलोड की सुविधा के बाद भी उसके द्वारा प्रपत्र को डाउनलोड नहीं किया गया। प्रपत्र-49 नहीं होने से उपरोक्त आयातित सामग्री लेखा पुस्तकों से आलिखित रहने की संभावना थी तथा कर बचाने के उद्देश्य से क्रय को छुपाया गया था। अतः व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा प्रमाणित होती है।
8.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इंदौर-तीन	मेसर्स हरियाणा दिल्ली रोड विगस, इन्दौर वाहन क्रमांक एम.पी.09 एच.पी. 3499	59/14वेट 60/ प्र.क.	8.09	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह वर्णित किया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसके द्वारा गुजरात से मध्यप्रदेश के लिये विक्रय वापसी के सामग्री का अन्य सभी वैधानिक अभिलेखों के साथ परिवहन किया जा रहा था वाहन जप्त होने के बाद उसने प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर छूट प्रदाय की गई। व्यापारी की मंशा संदिग्ध थी क्योंकि उसने वाहन जप्त किये जाने के बाद प्रपत्र-49 डाउनलोड कर प्रस्तुत किया था।	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि अधिनियम की धारा 57(2) के "स्पष्टीकरण उपबंध" के अनुसार कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि सामग्री मध्यप्रदेश में विक्रय के लिये नहीं था, इसलिये शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और प्रपत्र-49 के डाउनलोड की सुविधा के बाद भी उसके द्वारा प्रपत्र को डाउनलोड नहीं किया गया। अतः यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा थी।
9.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स रिट्विक प्रोजेक्ट प्रा. लि. एच.आर. 35 ई 7879	268/15 31.10.2015	9.38	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तर्क दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह उत्तरप्रदेश से मध्यप्रदेश में सिविल निर्माण ठेके के लिये प्लांट एवं मशीनों का परिवहन कर रहा था तथा वह निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त प्लांट एवं मशीनों को वापस ले जाता। इसलिये प्रपत्र-49 की आवश्यकता नहीं थी। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा आदेश में बिना किसी विस्तृत व्याख्या	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यापारी ने मशीनों का आयात केवल ठेका कार्य में उपयोग के लिये किया था अतः मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 (8) के "स्पष्टीकरण उपबंध" के अनुसार उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि मशीनें अधिसूचित सामग्री है और किसी भी उद्देश्य के लिये सभी अधिसूचित सामग्री के परिवहन के लिये प्रपत्र-49 अनिवार्य है। प्रपत्र-49 के अभाव में यह संभावना है कि

					के छूट प्रदान की। चूंकि सौदा दोषपूर्ण था अतः 31-05-2014 से पंजीयन निरस्त किया गया तथा उसने आवश्यक प्रपत्र-49 प्रस्तुत नहीं किया। मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 57 (8) के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी का शास्ति आदेश सही था।	आयातित सामग्री को क्रय लेख में सम्मिलित नहीं किया जाये और यह क्रय प्रपत्र-49 के अभाव में विभाग के संज्ञान में कर निर्धारण हेतु भी नहीं आयेगा। इसलिये व्यापारी के द्वारा कर अपवंचन की मंशा से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
10.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार मेसर्स यूनियन रोडवेज कारपोरेशन, कोलकाता एच.आर. 39 बी 6696	2/13 और 3/13 13.02.2014	7.77	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तक्रर दिया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही प्रपत्र-49 डाउनलोड किया था लेकिन लिपिकिय त्रुटि के कारण उपयोग किया गया प्रपत्र-49 परिवहनकर्ता को उपलब्ध करा दिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की और छूट प्रदाय की। आदेश प्रावधान के अनुसार नहीं है क्योंकि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 पूर्ण रूपेण डाउनलोड नहीं किया गया और प्रावधानुसार जांच के समय प्रपत्र-49 उपलब्ध नहीं किया गया।	उत्तर में बताया गया कि प्रपत्र-49 पहले से डाउनलोड किया गया था तथा मानवीय त्रुटि के कारण जांच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापारी ने पूर्णरूप से प्रपत्र-49 को डाउनलोड नहीं किया था और इसका उपयोग अन्य व्यवहार में किया जा सकता था, इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तुत किया गया प्रपत्र-49 इसी सौदे से संबंधित था।
11.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स के वैन्कटाराजू ए.पी.22ए.इ. 6969	45/14 एण्ड 46/14 20.05.2015	4.88	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह उल्लेख किया गया कि उसकी कर अपवंचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह पूंजीगत सामग्री को देयक एवं बिल्टी के साथ सिविल ठेके कार्य के लिये परिवहन कर रहा था न कि विक्रय के लिये और उसने वाहन जप्त किये जाने के बाद प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा छूट प्रदान की। आदेश प्रावधान के अनुसार नहीं है क्योंकि प्रपत्र-49 वाहन जप्त किये जाने के बाद व्यापारी ने प्रस्तुत किया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रपत्र-49 की अनुपलब्धता कर अपवंचन की मंशा नहीं थी और परिवहित सामग्री विक्रय के लिये नहीं था। हम उत्तर से सहमत नहीं है कि सामग्री का उपयोग भी कर योग्य था और व्यापारी सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से जानता था और प्रपत्र-49 के डाउनलोड की सुविधा के बाद भी उसके द्वारा प्रपत्र को डाउनलोड नहीं किया गया। अतः यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी की कर अपवंचन की मंशा थी।

12.	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स महावीर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, सागर आर.जे.11ए.0604	60/12 एण्ड 66/12 30.10.13	2.11	अपीलकर्ता द्वारा अपील में यह तक्रर दिया गया कि उसकी कर अपवचन की मंशा नहीं थी क्योंकि वह वैध देयक एवं बिल्टी के साथ सामग्री का परिवहन कर रहा था उसने वाहन जप्त किये जाने के बाद प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी ने अपील स्वीकार की तथा छूट प्रदान की। आदेश प्रावधान के अनुरूप नहीं था क्योंकि वाहन जप्त किये जाने के बाद लिखित जारी किये गये प्रपत्र-49 प्रस्तुत किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि परिवहन के समय सभी संबंधित वैधानिक अभिलेख परिवहनकर्ता के पास उपलब्ध थे और उसने मध्यप्रदेश में प्रवेश के पहले प्रपत्र-49 भी प्रस्तुत कर दिया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वाहन जप्त किये जाने के बाद व्यापारी ने मैन्यूली जारी किया गया प्रपत्र-49 प्रस्तुत किया था।
योग				107.60		
				लाख		

परिशिष्ट-VI

(कंडिका 3.3.7.4 के संदर्भ में)

राज्य के बाहर स्टॉक अन्तरण के प्रकरणों में आगतकर छूट उत्क्रम नहीं/कम उत्क्रम किया जाना

(₹ लाख में)

क्र.स.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम, टिन/ अवधि	अपील प्रकरण क्रमांक/ अपील आदेश का दिनांक	आगतकर छूट वापसी योग्य राशि /वापस की गई आगतकर छूट	व्यापारी के पक्ष में मान्य की गई कर राहत राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	विभाग का उत्तर/हमारा अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स शारदा माँ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. कटनी, 23716204180 / 2010-11	80 / 2013-14 वैट एवं 25 / 2013-14 21.04.2014	39.92 / 00	39.92	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 20,58,18,458 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी किए बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
2	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड सतना, 23757000140 / 2008-09	133 / 12 21.01.13	16.59 / 00	16.59	क्रय किए गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने यह व्याख्या करते हुये कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

						अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की जायेगी, उस आगतकर छूट की वापसी की राहत प्रदान की। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (5)(क)(एक) के अनुसार वापसी की थी।	
3	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मेसर्स बिरला कारपोरेशन लिमिटेड 23757000140 / 2007-08	132 / 12 21.01.13	15.02 / 00	15.02	क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने यह व्याख्या करते हुये कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर क्रय किये गये प्लाण्ट एवं मशीनरी पर अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी नहीं की जायेगी। उस आगतकर छूट की वापसी की राहत प्रदान की। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 (5)(क)(एक) के अनुसार वापसी की थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
4	अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर	मे शारदा माँ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. कटनी 23716204180 / 2008.09	36 / 11 27.03.12	15.28 / 8.77	6.51	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 2,56,52,362 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 2,56,52,362 के स्टॉक अन्तरण	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

						को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी किए बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	
5	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील भोपाल	मेसर्स सेनफील्ड इण्डिया भोपाल, 23893602638 / 2010-11	404 / 13 26.03.14	5.48 / 00	5.48	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय कर निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 8,73,77,566 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी किए बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि जांच बाद उत्तर दिया जायेगा। लेखापरीक्षा में अन्तिम कार्यवाही आज दिनांक तक अपेक्षित है।
6	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील भोपाल	मेसर्स मापरा लेबोरेट्रीज प्रा. लि. मण्डीदीप, 2325410667 / 2010-11	191 / 13 19.11.13	0.11 / 00	0.11	क्रय किये गये पैकिंग सामग्री पर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण के संबंध में अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी की। अपील के दौरान अपीलीय प्राधिकारी ने यह व्याख्या करते हुये कि उत्पादित सामग्री के स्टॉक अन्तरण पर क्रय किये गये पैकिंग सामग्री पर अनुपातिक आधार पर आगतकर छूट की वापसी नहीं की जायेगी। उस आगतकर छूट की वापसी की राहत प्रदान की। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी ने मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि धारा 14 (एक)(अ)(6) के अनुसार पैकिंग सामग्री अनुसूची दो में निद्रिष्ट सामग्रियों के लिये उपयुक्त आगतकर छूट की वापसी नहीं की जायेगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि धारा 14 (एक)(अ)(6) के अनुसार निर्मित सामग्री का धारा 14 (एक) के अनुसार निपटान करने पर धारा में दिये गये प्रावधान के अनुसार नीचे दिये गये विशिष्ट परिस्थितियों में एक

						धारा 14 (5)(क)(एक) के अनुसार वापसी की थी।	पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आगतकर छूट का दावा किया जायेगा या दावा मान्य किया जायेगा, (अ) जहाँ एक पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची दो में निद्रिष्ट सामग्री का क्रय मध्यप्रदेश के अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगतकर अदा करने के बाद क्रय करता है, (ब) उस सामग्री या अनुसूची दो में वर्गीकृत सामग्री या उससे उत्पादित या संसाधित या उद्धरित सामग्री को मध्यप्रदेश राज्य के अन्दर/भीतर या भारत देश से बाहर निर्यात के रूप में विक्रय के अलावा अन्य रूप से निस्तारण किया है, तो व्यवसायी उस आगत कर राशि का, निर्धारित अवधि के अन्दर, निर्धारित विधि से आगतकर छूट के लिये दावा करेगा या उसका दावा मान्य किया जायेगा (दो) उपवाक्य (6) से संबंधित सामग्री के प्रकरण में, जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है, उस सामग्री का शुद्ध आगतकर।
7	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील ग्वालियर	मेसर्स सिंह आयल मुरैना, 23135604263 / 2007-08	550 / 10 22.09.11	2.53 / 00	2.53	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को राज्य के बाहर से क्रय किये गये सामग्री का स्टॉक अन्तरण के आधार पर राहत प्रदान की जबकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ₹ 1,03,86,669 की पैकिंग सामग्री राज्य में क्रय की गई और सामग्री का पुनः पैकिंग में उपयोग किया गया	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये वास्तविकता तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात राहत स्वीकार किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रावधान के अनुसार

						इसलिये स्टॉक के अनुपात में आगतकर छूट की वापसी की जायेगी।	आगतकर छूट की वापसी नहीं की गई।
8	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील ग्वालियर	मेसर्स मदनलाल नन्दकिशोर नरवर, 23635701182 / 2008-09	335 / 11 10.08.12	0.63 / 00	0.63	प्रपत्र-च प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारण अधिकारी ने ₹ 15,82,789 के स्टॉक अन्तरण को अमान्य कर दिया गया था इसलिये इस राशि को अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए केन्द्रीय विक्रय निरूपित किया गया और दावा किये गये पूर्ण आगतकर छूट को मान्य करते हुए छूट की वापसी नहीं की गई। अपील में प्रपत्र-च प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने ₹ 15,82,789 के स्टॉक अन्तरण को नये स्थिति में सामग्री का अन्यथा निस्तारण मान्य करते हुये आगतकर छूट की वापसी के बिना सी.एस.टी. की राहत प्रदान की गई।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये वास्तविकता तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात् राहत स्वीकार किया गया। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रावधान के अनुसार आगतकर छूट की वापसी नहीं की गई।
9	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अपील जबलपुर	मेसर्स बाहुबली मारबल जबलपुर, 23886004994 / 2010-11	460 / 13 30.08.14	0.36 / 00	0.36	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को इस आधार पर राहत प्रदान की कि निर्धारण प्राधिकारी ने शाखा के व्यवहार को त्रुटिपूर्ण रूप से सकल टर्नओवर में सम्मिलित कर सकल टर्नओवर निर्धारित किया है। लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि अपीलीय प्राधिकारी ने शाखा को किये गये स्टॉक अन्तरण के अनुपात में आगतकर छूट की वापसी नहीं की है।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अपील के कार्यवाही दौरान आगतकर छूट की वापसी के संबंध में कार्यवाही वांछित नहीं थी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी ने अपील की कार्यवाही के दौरान प्रकरण का पुनर्निर्धारण किया था इसलिये स्टॉक अन्तरण के अनुपात में आगतकर छूट की वापसी की जानी चाहिये थी।
योग				95.92 लाख	87.15 लाख		
				8.77 लाख			

परिशिष्ट-VII
(कंडिका 3.3.7.5 के संदर्भ में)
अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण दर से कर लगाया जाना

(₹ लाख में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम, टिन/अवधि	अपील प्रकरण क्रमांक/आदेश का दिनांक/वस्तु का नाम	सामग्री की लागत/कर योग्य टर्नओवर	लगाये जाने वाले कर की दर/अपील आदेश में लगायी गयी दर (प्रतिशत)	व्यापारी के पक्ष में कर राहत की राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का संक्षेप	अपीलीय प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा अभिमत
1	अतिरिक्त आयुक्त, जबलपुर	मेसर्स हेवी इन्जीनियरिंग वक्रशाप रीवा, 2315690424 6/ 2010-11	47/13-14 18.02.14/ मशीनरी	896.12	13/5	71.69	कर अंकेक्षित प्रतिवेदन और संबंधित निर्धारण आदेश में व्यवसायी ने जाब वक्र में यह सत्यापित नहीं कर सका कि अन्तरित की गई सामग्री टंगस्टन है जबकि व्यवसायी का मूल व्यवसाय उत्पादित भारी इन्जीनियरिंग आइटमों (13%) का विक्रय करना है। यद्यपि अपीलीय प्राधिकारी ने वास्तविकता का सत्यापन किये बिना व्यापारी को इस आधार पर राहत मान्य किया कि जाँब वक्र में (टंगस्टन धातु) (5%) का अन्तरण किया गया है।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
2	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), इन्दौर-दो	मेसर्स पावरलाइन कारपोरेशन इन्दौर, 2339100069 4/ 2009-10	115/ 2011 19.03.12/ वायरिंग हार्नेस	30.93	12.5/4	3.34	अपीलीय प्राधिकारी ने उपयोग के आधार पर व्यापारी को राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन के आधार पर उत्तर दिया जावेगा। लेखापरीक्षा में उत्तर अपेक्षित है।
3	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स एस.बी. इन्टरप्राइजेज, 2364580860 4/ 2006-07	170/12 19.03.13/ पुराना मोटर वाहन	8.03	12.5/1.5	3.97	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) की अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों

								<p>पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा।</p> <p>उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहा मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।</p>
4	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स श्री गोविन्द इन्स्टीट्यूट माधवनगर कटनी, 2316620239 7/ 2007-08	219 / 2013 28.03.14 / पुराना मोटर वाहन	1.80	12.5 / 1.5	0.79	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत के दर से कर योग्य थे।	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा।</p> <p>उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहां मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।</p>

5	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स कैलाश चन्द्र बागडीया, 2385620061 1/ 2006-07	398 / 12 26.06.13 / पुराना मोटर वाहन	1.95	12.5 / 1.5	0.64	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत के दर से कर योग्य थे।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहां मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।
6	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), जबलपुर	मेसर्स बनारसी दास भनोट एण्ड संस, 2364580811 9/ 2007-08	235 / 2012 24.04.13 / पुराना मोटर वाहन	17.11	12.5 / 1.5	1.88	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुराने वाहन के विक्रय को अनुसूची दो/तीन/9 का मानते हुये राहत प्रदान की गई। जबकि, वर्ष 2006-07 में पुराने वाहन 12.5 प्रतिशत के दर से कर योग्य थे।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में द्वितीय संशोधन (1.04.06 से प्रभावी) के अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक दो/तीन/नौ के अनुसार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहनों पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया जायेगा। उत्तर मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार, "पुराने और सेकेन्ड हैंड मोटर वाहनों" पर 1.5 प्रतिशत से कर वहाँ लगेगा जहां मोटर वाहन क्रय-विक्रय करने का मुख्य व्यवसाय किया जाता

								है। यद्यपि, इन प्रकरणों में व्यापारी का मुख्य व्यवसाय मोटर वाहनों के क्रय-विक्रय का न होकर अन्य व्यवसाय है इसलिये विक्रित वाहन संबंधित अधिसूचना के अर्न्तगत नहीं आते हैं।
7	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सतना	मेसर्स कन्हैयालाल अग्रवाल, 2380720415 2/2007-08	232/2010 21.09.11/ सिविल निर्माण कार्य ठेका	20.66	12.5/4	1.76	अपीलीय प्राधिकारी ने उच्च दर से की गई विक्रय पर कर योग्य राशि की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण कम वैट निरूपित किया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात् मूल निर्धारण अभिलेख निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया इसलिये अपील स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के इस आदेश से वैट का कम निरूपण किया गया।
8	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सतना	मेसर्स एस.के. इन्टरप्राइजेज, सीधी, 2340730321 /2007-08	249/2010 10.06.11/ पुराना मोटर वाहन	3.90	12.5/0	0.49	निर्धारण प्राधिकारी ने 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया था लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने दोहरे करारोपण के आधार पर अपीलकर्ता को राहत प्रदान की।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात् मूल निर्धारण अभिलेख निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया इसलिये अपील स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलीय प्राधिकारी के इस आदेश से वैट का कम निरूपण किया गया।
9	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सतना	मेसर्स अतुल ट्रेडलिंग, इन्दौर 2314120050	83/2011 18.10.11/ पुराना मोटर वाहन	3.00	12.5/1.5	0.33 कर + 0.33 शास्ति	निर्धारण प्राधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया था तथा धारा 21 (1) के अर्न्तगत शास्ति भी अधिरोपित की थी अपीलकर्ता के	अपीलीय प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया।

	कर), इन्दौर- तीन	/2006-07					प्रस्ताव पर अपीलीय प्राधिकारी ने 1.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया तथा शास्ति भी माफ कर दी।	
10	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सागर	मेसर्स पारस इण्डस्ट्रीज, सागर 2311740391 5/2008-09	54/13 01.10.14/ होम यू.पी. एस.	14.19	12.5/4	कर 1.21 ब्याज 0.40	अपीलीय प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को होम यू.पी.एस. (इन्वर्टर) 5 प्रतिशत की दर से क्रय करने के आधार पर राहत प्रदान की। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक/वैट-विक्रय/2004/292 दिनांक 31.07.2006 के स्पष्टीकरण क्रमांक 17 के अनुसार होम यू.पी.एस. 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि वैट अधिनियम की अनुसूची-दो की प्रविष्टि क्रमांक 51 की उप-प्रविष्टि (8) के अनुसार यू.पी.एस. 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि विक्रय किया गया सामग्री यू.पी.एस. के बजाय होम यू.पी.एस. है और आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक /वैट-विक्रय/2004/292 दिनांक 31.07.2006 के स्पष्टीकरण क्रमांक 17 के अनुसार होम यू.पी.एस. 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
11	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर), सागर	मेसर्स अग्रोहा इन्डेन, हरपालपुर 2302770248 2/2006-07	05/2011 10.08.11/ पुराना मोटर वाहन	1.53	12.5/1.5	0.15	निर्धारण प्राधिकारी ने 12.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया था तथा धारा 21 (1) के अर्न्तगत शास्ति भी अधिरोपित की। अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर अपीलीय प्राधिकारी ने 1.5 प्रतिशत की दर से वैट निरूपित किया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि वास्तविकता की जांच पश्चात् की गई कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।
योग				999.22		86.98		लाख

परिशिष्ट-VIII
(कंडिका 3.3.7.6 के संदर्भ में)
प्रवेशकर का निरूपण नहीं/कम निरूपण किया जाना

(₹ लाख में)

क्र. स.	अपीलीय प्राधिकारी का नाम	व्यापारी का नाम, टिन/अवधि/वस्तु का नाम	अपील प्रकरण क्रमांक/अपील आदेश का दिनांक	सामग्री का लागत/कर योग्य टर्नओवर	लगाये जाने योग्य कर का दर/अपील आदेश में लगाया गया दर (प्रतिशत)	व्यापारी के पक्ष में दिये गये राहत की राशि	संक्षेप में आपत्ति	अपीलीय प्राधिकारी का उत्तर और हमारी टिप्पणियां
1	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जबलपुर	मेसर्स शारदा मॉ इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. कटनी, 23716204180 / 2010-11/ कोयला	118 / 13.14 21.04.2014	147.10	2 / 0	29.42	व्यापारी मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन क्रमांक 2331700844 द्वारा प्रदाय किये गये घोषणा प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता ने प्रवेशकर के छूट की मांग की, जबकि विक्रय बिजक के अनुसार उपरोक्त विक्रय अन्य व्यापारी मेसर्स प्रिज्म सीमेंट टिन 23127002475 को किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।
2	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर परिक्षेत्र-II	मेसर्स प्रकाश साल्वेक्स इन्दौर, 23361400981 / 2008-09/ आरबीडी पाम ऑयल	08 / 11 21.03.2012	764.93	1 / 0	7.65	अपीलीय प्राधिकारी ने अन्तिम स्कन्ध (2008-09), जो वर्ष 2009-10 में स्टॉक अन्तरण किया गया था के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की। अपीलीय प्राधिकारी ने इस तथ्य को सत्यापित नहीं किया कि व्यापारी ने उस स्टॉक अन्तरण के	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि कल्पना के आधार पर आपत्ति ली गई है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2009-10 के प्रवेशकर निर्धारण आदेश से यह प्रमाणित होता है कि व्यापारी ने सम्पूर्ण स्टॉक अन्तरण के

							संबंध में वर्ष 2009-10 में ही प्रवेशकर की गणना के लिये क्रय मूल्य के लिये छूट का दावा किया था। यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2009-10 में ही स्टॉक अन्तरण के आधार पर छूट प्रदाय की थी।	संबंध में प्रवेशकर गणना के लिये क्रय मूल्य के लिये छूट की मांग की थी और कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रदाय की थी।
3	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स अप्रित इन्टरप्राइजेज ग्वालियर, 23035306528 / 2008-09 / खाद्य तेल	610 / 11 01.10.2012	551.63	1 / 0	5.52	अपीलीय प्राधिकारी ने अन्तर्राज्यीय विक्रय के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की। चूंकि व्यापारी ने सम्पूर्ण सामग्री को कर की पूर्ण दर से विक्रय किया एवं व्यापारी बिल्टी प्रस्तुत करने में असफल था एवं संदिग्ध बिल्टी प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा करारोपण किया गया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात छूट प्रदाय की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये और कर निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश में उल्लेख किया है कि व्यापारी बिल्टी प्रस्तुत करने में असफल था तथा संदिग्ध बिल्टी प्रस्तुत किया गया।
4	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) ग्वालियर	मेसर्स ट्रोपोलाइट फूड्स प्रा. लि. ग्वालियर, 23235207575 / 2008-09 प्लाण्ट एवं मशीनरी	532 / 11 10.09.2012	380.77	1 / 0	3.81	अपीलीय प्राधिकारी ने महाप्रबन्धक, जिला उद्योग क्रेन्द्र, ग्वालियर के प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की। नमूना जांच में पाया गया कि उस प्रमाणपत्र में प्लाण्ट एवं मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात छूट प्रदाय की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उस प्रमाणपत्र में प्लाण्ट एवं

								मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।
5	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) जबलपूर	मेसर्स शीला एग्रो प्रा. लि. कटनी, 23686206961 / 2010-11 / प्लाण्ट एवं मशीनरी	148 / 14 03.07.2014	16.84	1 / 0	0.17	अपीलीय प्राधिकारी ने छूट प्रमाणपत्र के आधार पर अपीलकर्ता को छूट प्रदाय की थी। नमूना जांच में पाया गया कि उस छूट प्रमाणपत्र में प्लाण्ट एवं मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण नस्ती में पाये गये तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात छूट प्रदाय की गई। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उस छूट प्रमाणपत्र के अनुलग्नक में प्लाण्ट एवं मशीनरी सम्मिलित नहीं थी।
6	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) इन्दौर-तीन	मेसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर, 23581200555 / 2004-05 / सड़ा अनाज	173 / 10 14.11.2011	1661.24	1 / 0	16.61	कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रवेशकर अनुसूची-दो के प्रविष्टि-57 " सभी प्रकार के अनाज एवं दालें" के अनुसार आयातित सड़े अनाज पर प्रवेशकर निरूपित किया था। अपीलीय प्राधिकारी ने सड़े अनाज को मनुष्यों के साथ पशुओं के लिये उपयोगी नहीं होने के कारण अनाज न मानते हुए अपीलकर्ता को प्रवेशकर से छूट प्रदान की। यद्यपि, सड़े अनाज के लिये कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है और व्यापारी ने सड़े अनाज को मदिरा उत्पादन के लिये कच्चे सामग्री के रूप में उपयोग किया, इसलिये प्रवेशकर	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यों के सत्यापन के पश्चात कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

							अनुसूची-तीन के प्रविष्टि-1 "अनुसूची-एक एवं दो के अर्न्तगत निद्रिष्ट के अतिरिक्त सभी वस्तुयें" एक प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं ।	
7	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर)इन्दौर-तीन	मेसर्स गौरव सेल्स एजेन्सिज, इन्दौर 23470822248 / 2010-11 / स्किम्ड मिल्क पावडर	478 / 2015 26.09.2015	249.12	2 / 1	24.49	<p>प्रवेशकर अधिनियम की अनुसूची-दो के प्रविष्टि क्र.-31 के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी ने स्किम्ड मिल्क पावडर पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर निरूपित किया था। अपीलीय प्राधिकारी ने प्रवेशकर अधिनियम की अनुसूची-तीन के अर्न्तगत स्किम्ड मिल्क पावडर को एक प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अपीलकर्ता को त्रुटिपूर्ण रूप से कर छूट प्रदाय की।</p>	<p>अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि स्किम्ड मिल्क पावडर के लिये कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है । इसलिये स्किम्ड मिल्क पावडर अवशिष्ट प्रविष्टि के अर्न्तगत आता है ।</p> <p>उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि प्रवेशकर अनुसूची- दो के प्रविष्टि क्र. 31 "वनस्पति, खनिज और अन्य प्रीपरेशन, टॉनिक्स,पूरक भोजन, एप्पेटाइजर्स, डायटीसीयन फूडस और अन्य सभी भोजन जो मानव के उपयोग के लिये तरल, गोली, पावडर रूप में जो भेषज मानक के अनुरूप या अन्यथा (इस अनुसूची में विशिष्ट रूप से दिये गये के अतिरिक्त और आचार, पेस्ट एवं फल वनस्पति और मसाले</p>

								के पावडर से बना हुआ", इसलिये स्किम्ड मिल्क पावडर उपरोक्त प्रविष्टि के अर्न्तगत आता है और अपीलीय प्राधिकारी, इन्दौर-तीन (07.07.2015) द्वारा मेसर्स मिठालाल मुल्तानमल के प्रवेशकर प्रकरण क्र. 539/2014 में उपरोक्त वास्तविकता की पहले ही पुष्टि की गई है।
8	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स सत्यसाई मेडिकल हाल रीवा 23576903433 / 2011-12 / दवा	24 / 15 27.03.2015	24.25	1 एवं 2 / 0	कर 3.23 ब्याज 1.29	अपंजीकृत क्रय के कारणकर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रवेशकर निरूपित किया। अपीलीय प्राधिकारी ने अंकेक्षित लेखे के आधार पर छूट प्रदाय की। वैट अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को प्रवेशकर एवं ब्याज कीछूट देने के पूर्व पंजीयन की स्थिति का सत्यापन करना चाहिये था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात मूल कर निर्धारण अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिये गये थे इसलिये अपील स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
9	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स कश्यप ट्रेडर्स एण्ड ड्रग स्टोर, रीवा 23426906086 / 2011-12 / दवा	04 / 15 27.03.2015	261.91	1 / 0	कर 2.62 ब्याज 1.05	अपंजीकृत क्रय के कारण कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रवेशकर निरूपित किया। अपीलीय प्राधिकारी ने अंकेक्षित लेखे के आधार पर छूट प्रदाय की। वैट अधिनियम के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी को प्रवेशकर एवं ब्याज कीछूट देने के पूर्व	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात मूल कर निर्धारण अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिये गये थे इसलिये अपील स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

							पंजीयन की स्थिति का सत्यापन करना चाहिये था।।	हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
10	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सतना	मेसर्स नर्मदा कंसट्रक्शन कम्पनी, सतना 23427005317 / 2012-13 / सीमेंट	122 / 15 15.02.2015	1.81	2 / 1	0.18	अपीलीय प्राधिकारी ने 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर निरूपित किया।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि प्रकरण के निराकरण के पश्चात मूल कर निर्धारण अभिलेख कर निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिये गये थे इसलिये अपील स्तर पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।
11	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स सागर सीमेंट पाईप इण्डस्ट्रीज, सागर 23507500458 / 2011-12 / सीमेंट पाईप	203 / 14 13.10.2015	1.60	1 / 0	0.16	अपीलीय प्राधिकारी ने मेसर्स कोका कोला बनाम आयुक्त वाणिज्यिक कर के प्रकरण में अपीलियेट मण्डल के निर्णय-बीजक पर 'प्रवेशकर का भुगतान नहीं किया गया' की मोहर नहीं लगाने के आधार पर उत्पादक प्रवेशकर के भुगतान के लिये दायी नहीं है क्योंकि उसने स्थानीय क्षेत्र में सामग्री का प्रवेश नहीं करवाया है के आधार पर छूट प्रदान की। उपरोक्त निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि निर्माता (उत्पादक) म.प्र. में	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिनियम में प्रावधान के अनुसार निर्मित किये गये सामग्री पर निर्माता के प्रवेशकर के भुगतान का दायित्व नहीं आता है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवेशकर अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि यदि उत्पादक ने विक्रय बीजक पर 'प्रवेशकर का भुगतान नहीं किया गया' की मोहर अंकित नहीं की है तो उत्पादक प्रवेशकर के भुगतान के

							पंजीकृत व्यापारी है और प्रवेशकर अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, या तो उत्पादक या क्रेता द्वारा प्रवेशकर का भुगतान किया जाना चाहिये। यदि विक्रय बीजक पर 'प्रवेशकर का भुगतान नहीं किया गया' की मोहर अंकित नहीं है तो उत्पादक प्रवेशकर के भुगतान के लिये दायी होगा। इसलिये कर निर्धारण आदेश प्रावधान के अनुसार पारित किया गया था।	लिये दायी होगा।
12	अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त वाणिज्यिक कर) सागर	मेसर्स फैशन वर्ल्ड, सागर 2395704915 / 2007-08 / रेडिमेड गारमेंट्स	83 / 10 08.08.2011	2.70	1 / 0	0.27	अपीलीय प्राधिकारी ने प्रेषण विक्रय पर कमीशन/लाभ को घटाने के बाद कर योग्य टर्नओवर निर्धारित कर प्रवेशकर की छूट प्रदाय की जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार व्यापारी द्वारा दावा की गयी छूट को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पहले ही मान्य करने के बाद क्रय देयक के आधार पर कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया गया था।	अपीलीय प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि तथ्यो का सत्यापन करने के बाद कार्यवाही से अवगत करवाया जायेगा।
			योग	566.10 लाख (5.67 करोड़)		74.47 लाख		

परिशिष्ट-IX
(कंडिका 3.4 के संदर्भ में)
अनियमित कटौती की छूट

(राशि ₹ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यापारी/टिन	अवधि/निर्धारण का माह	कर योग्य टर्नओवर	कर की दर (%)	आरोपणीय कर	आरोपित कर	अन्तर	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा टीप
1	वा.क.अ.—भिण्ड मे. मऊ इण्डेन टिन-2322480352 7	2011-12 जुलाई-2014	1,17,37,581 1,55,14,819 4,12,545	13 5 4	15,25,886 7,75,741 16,502	13,51,209 7,38,801 15,867	1,74,677 36,940 635 <u>ब्याज-82,778</u> योग 2.95 लाख	अंकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार क्रय एवं विक्रय में वेट शामिल नहीं है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षित प्रतिवेदन में दर्शाया गया विक्रय वेट सहित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित प्रतिवेदन अनुसार क्रय एवं विक्रय बिनाकर के है, आई.टी.आर. भी व्यापार एवं लाभ हानि खाते के अनुसार नेट क्रय पर दिया गया है।
2.	वा.क.अ.—नरसिंहपुर मे. चौधरी ट्रेडर्स टिन-2331640402 6	2012-13 दिसम्बर-2014	13,83,042 8,83,57,157	13 5	1,79,795 44,17,858	1,59,111 42,07,484	20,684 <u>2,10,374</u> योग 2.31 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार क्रय एवं विक्रय बिना कर के है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षित प्रतिवेदन में दर्शाया गया विक्रय वेट सहित है। निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	वा.क.अ.—नरसिंहपुर मे. सिद्धेश्वर एजेन्सी टिन-2370640182 3	2012-13 दिसम्बर-2014	1,26,57,344 95,77,657	13 5	16,45,455 4,78,883	14,56,155 4,50,391	1,89,300 28,492 <u>शास्ति-6,53,376</u> योग 8.71 लाख	अंकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार क्रय एवं विक्रय बिना कर के है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अंकेक्षित प्रतिवेदन में दर्शाया गया विक्रय वेट सहित है। निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन बिना कर के कार्यवाही की जावेगी।

									लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
4.	स. उपा.वा.क. संभाग-उज्जैन मे. बैंक प्रेस नोट देवास टिन-2365230539 5	2012-13 जनवरी 2015	7,29,10,395	5:	36,45,519	34,71,924	36,45,519 (-) <u>34,71,924</u> योग 1.74 लाख	धारा 2(x)(iii) के तहत शाखा कार्यालय को बिना एफ फार्म के स्टॉक ट्रांसफर पर छूट अनियमित थी, क्योंकि शाखा को स्थानांतरित सामग्री में वैट शामिल नहीं था।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
5.	वा.क.अ-वृत्त-14 इन्दौर मे. जय श्री ट्रेडर्स टिन-2387160086 0	2012-13 फरवरी-2015	22,34,422	13	2,90,474	2,90,474 शास्ति <u>8,71,422</u> योग 11.62 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार क्रय एवं विक्रय बिना कर के है। इसलिये धारा 2(x)(iii) के तहत कटौती अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	उपा.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. जे. एस. डब्ल्यूस्टीलसलिमिटेड ड टिन-2331530773 2 60 / 12 (वैट) 451	2011-12 जून 2014	2,71,21,38,435	5 3	12,37,61,94	11,66,66,09 7	12,37,61,943 (-) <u>11,66,66,097</u> योग 70.96 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का मूल्य प्रारम्भ से नेट क्रय था, बिना वैट के और लाभ जोड़ कर विक्रय मूल्य संगणित किया था। यद्यपि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7.	उपा.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. जे.एस. डब्ल्यू स्टीलस लिमिटेड टिन-2331530773 2 60 / 12 (वैट) 451	2012-13 फरवरी-2015	1,83,90,86,806	5	9,14,18,267	8,70,65,016	9,14,18,267 (-) <u>8,70,65,016</u> योग 43.53 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का मूल्य प्रारम्भ से नेट क्रय था, बिना वैट के और लाभ जोड़ कर विक्रय मूल्य संगणित किया था। यद्यपि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8.	उपा.वा.क. संभाग-1 भोपाल मे. नोकिया प्रा. लि. टिन-2384360426	2011-12 अप्रैल-2014	4,13,24,95,819	13	52,16,71,27 9	46,16,55,99 9	6,00,15,280 शास्ति <u>18,00,45,840</u> योग 2400.61 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का मूल्य प्रारम्भ से नेट क्रय था (बिना वैट के) और लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य संगणित किया था। यद्यपि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश	इंगित किये जाने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आडिट रिपोर्ट के निर्धारण कालम में वैट की राशि लिखने से रह गई है। कर योग्य विक्रय

	6 22 / 12 (वैट) 413								विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया है। साथ ही आडिट रिपोर्ट के जीटीओ में शामिल कर के कालम में कर निरंक दर्शाया है। इससे स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं है।	वैट कटौती के बाद वर्गीकृत किया है। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि वैट आडिट रिपोर्ट के अनुसार सकल टर्नओवर विक्रय बिना वैट के सत्यापित है।
9.	उपा. संभाग-2 इन्दौर मे. फिलिप्स इंडिया लि. टिन-2348110021 5 64 / 13 (वैट) 440	2012-13 दिसम्बर-2014	1,05,24,26,316	13	9,41,82,942	8,33,47,736	1,08,35,206 शास्ति-3,25,05,6 18 योग- 433.41 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रीयों का मूल्य नेट क्रय (बिना वैट के) पर निकाला गया था और लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य संगणित किया गयाथा। जबकि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आडिट रिपोर्ट के अनुसार सकल विक्रय (वैट) कर सहित निर्धारित है, जिसमें से कर की कटौती नियमानुसार स्वीकृत की गई थी। आडिट रिपोर्ट में सामग्री का मूल्य स्वसंग्रहित है। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि आडिट रिपोर्ट 41-ए के अनुसार विक्रय मूल्य अन्य राज्यों से प्राप्त सामग्रीयों में लाभ जोड़कर निर्धारित किया गया है जिसमें कर शामिल नहीं है। यदि कर विक्रय मूल्य में शामिल होता है तो सकल लाभ कम हो जाता जबकि आडिटेड लेखाओं के अनुसार सकल लाभ निर्धारित है। अतः स्पष्ट होता है कि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं है।	
10.	सहा. आ.वा.क. संभाग-1 इन्दौर मे. श्री स्टील 23740500903 सीएस0000001208 49	2011-12 जून 2014	17,37,15,180	5	83,80,979	79,81,885	3,99,094 शास्ति 1,19,72,82 योग 15.96 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्री का मूल्य नेट क्रय बिना वैट के के अनुसार लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य संगणित किया गया था। जबकि आडिटर द्वारा नेट विक्रय के स्थान पर भूलवश	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि वैट आडिट रिपोर्ट केवल वाणिज्यिक कर विभाग हेतु तैयार की गई है जो ठीक नजर आती है तथा निर्धारण वैट आडिट	

	(वैट)339							विक्रय मूल्य वैट सहित दर्शाया गया है।	रिपोर्ट के अनुसार किया है। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि सामग्री के क्रय मूल्य में वैट शामिल नहीं है।
11.	सहा.आ.वा.क. संभाग-2 इन्दौर मे. ए.एम.डब्ल्यू मोटर्स लिमिटेड 23939061836 सी एस 00000177299 (वैट) 488	2012-13 फरवरी-2015	25,49,81,603	13	2,95,75,429	2,61,72,946	34,02,483 शास्ति <u>1,02,07,449</u> योग 136.10 लाख	वैट आडिट रिपोर्ट में विक्रय सामग्रियों का विक्रय मूल्य बिना वैट के शुद्ध क्रय राशि से निकाला गया है, विक्रय मूल्य सामग्री के संगणित मूल्य में लाभ जोड़कर निकाला गया हालाँकि लेखापरीक्षक द्वारा विक्रय मूल्य को त्रुटिवश शुद्ध विक्रय मूल्य लेकर वैट सहित दिखाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण भूल सुधार हेतु पहले खोला गया था। उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्तर की पुष्टि हेतु प्रमाण संलग्न नहीं किया गया।
12.	वा.क.अ. शिवपुरी मे. विजय ट्रेडर्स टिन-2321570461 4 प्र.क्र. 428 / 11	2010-11 <u>जून-2013</u>	11,32,20,30	13 और 5	12,97,074	14,65,427	1,68,353 शास्ति <u>50,50,59</u> योग 6.73 लाख	अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय एवं विक्रय वैट रहित है। अतः धारा 2(x)(iii) के तहत दी गई छूट अनियमित थी।	निर्धारण प्राधिकारी ने सत्यापन पश्चात् कार्यवाही करने को कहा। लेखापरीक्षा में अन्तिम कार्यवाही अपेक्षित है।
योग							31.37 करोड़ (शास्ति 22.60 करोड़ सहित)		

परिशिष्ट-X
(कंडिका 3.5 के संदर्भ में)
कर की गलत दर का निर्धारण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम / व्यावसायी	निर्धारण अवधि/निर्धारण का माह	वस्तु/कर योग्य टर्न ओवर जिस पर गलत दर लगाई गई	कर योग्य दर/कर की दर जो लगाई गई (%)	कम करारोपण कर की राशि/शास्ति	लेखापरीक्षा का अभिमत	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	वा.क.अ., वृत्त -XV, इंदौर मे. अमन रबड एण्ड स्क्रैप टिन-23529033456 प्रकरण क्र. CS000000223959	2012-13 जनवरी 2015	रबड स्क्रैप 8,83,907	13/5	70,712 शास्ति 2,12,136 योग 2.83 लाख	रबड स्क्रैप पर 5 प्रतिशत पर दर से करारोपण किया गया था जब कि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2	वा.क.अ. खण्डवा मे. आराधना एजेंसी एण्ड रेडिमेड टिन-23942004099 प्रकरण क्र. 204/11 (वैट)	2010-11 अगस्त 2015	मार्टिन कोईल एवं डिटोल 27,52,071	13/5	2,20,165 शास्ति 6,60,495 योग 8.81 लाख	प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत मार्टिन काईल एवं डिटोल 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3	वा.क.अ., वृत्त -9, इंदौर मे. सलोमी एजेंसीज, इंदौर टिन- 23950904065 प्रकरण क्र. CS0000000147407 (वैट)	2011-12 जून 2014	फोटोकॉपी मशीन/पुर्जे/सहायक सामग्री 1,09,81,740	13/5	8,78,539 शास्ति 26,35,617 योग 35.14 लाख	फोटोकॉपी मशीन पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था जब कि यह 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि यह अलग से फोटोकॉपी मशीन नहीं है बल्कि इसका उपयोग आई टी के साथ फोटोकॉपी के लिए किया जाता है इसलिए यह 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फोटोकॉपी मशीन आई टी उत्पाद नहीं है।
4	वा.क.अ., वृत्त शिवपुरी मे. चौधरी एण्ड चौधरी ट्रेडर्स टिन-23215702092 प्रकरण क्र. 285/11 (वैट)	2010-11 जून 2013	बैटरीज 13,34,523	13/5	1.07 लाख	बैटरियां प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

5	वा.क.अ., वृत्त VII इंदौर मे. वासुदेव किशनदास इंदौर टिन-23220700136 प्रकरण क्र. CS00000051327 (वैट)	2011-12 जून 2014	चाकू, गैस, लाइटर्स 57,53,724	13 5	4,60,298 शास्ति 13,80,894 योग 18.41 लाख	चाकू, गैस, लाइटर्स प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे. बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6	वा.क.अ., वृत्त भिण्ड मे. चम्बल ट्रैक्टर टिन-23104801071 प्रकरण क्र. CS000000138073 (वैट)	2011-12 जून 2014	ट्रैक्टर सहायक सामग्री 6,58,626	13 5	52,690 शास्ति 1,58,070 योग= 2.11 लाख	ट्रैक्टर सहायक सामग्री अधिनियम की प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7	वा.क.अ., अनूपपुर मे. हेमको इण्ड. टिन-23287203468 प्रकरण क्र. 42/12	2011-12 जुलाई 2014	मशीनरी पार्ट्स 8,83,907	13 5	1.71 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8	वा.क.अ., वैढन मे. प्रगति एसोसिएट्स टिन-23979027882 प्रकरण क्र. 4/12	2011-12 मार्च 2015	दीवाल/ फर्शी टाईल्स 43,21,299	13 5	3.40 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा समस्त विक्रय पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
9	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. होलानी सिंग इण्ड. प्रा.लि. टिन-23115802736 प्रकरण क्र. 183418 (केन्द्रीय विक्रय कर)	2012-13 अगस्त 2014	कमानी पत्ता 48,26,739	2 1	48,267 शास्ति 1,44,801 योग 1.93 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना क्र. 16 दि. 30 मार्च 2016 (सी एस टी) के अनुसार ट्रेलर पार्ट्स पर त्रुटिपूर्वक दर से करारोपण किया, जब कि कम दर से कर "सभी प्रकार की कमानी पत्ता जो कि सभी प्रकार के मोटर वाहनों मे उपयोग होती है" के लिए लागू होना था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

10	वा.क.अ., वृत्त-12 इंदौर, मे. सौराष्ट्र कैमीकल्स टिन-23291204158 प्रकरण क्र. CS50297 (वैट)	2011-12 अप्रैल 2014	सोडा ऐश 38,78,17,138	13 5	310 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
11	वा.क.अ वृत्त-14 इंदौर, मे. के. जी. गोल्ड स्प्रिंग टिन-23471404655 प्रकरण क्र. 1689/2013 (केन्द्रीय) CS00000000522768	2012-13 फरवरी 2015	कमानी पत्ता 45,13,907	13 5	3,61,112 शास्ति 10,83,337 योग 14.44 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
12	वा.क.अ., वृत्त -14 इंदौर, मे. के. जी. गोल्ड स्प्रिंग टिन-23471404655 प्रकरण क्र. 1689/2013 CS00000000522768 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	कमानी पत्ता 58,28,455	13 5	4,66,276 शास्ति 13,98,828 योग 18.65 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
13	स.आ.वा.क.- छिन्दवाड़ा मे. ऐश्वर्या आटोमोबाईल टिन-23026601144 प्रकरण क्र. CS206583 (वैट)	2012-13 अक्टूबर 2014	ट्रैक्टर, एसेसरीज 9,18,623	13 5	73,489 शास्ति 2,20,467 योग 2.94 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
14	वा.क.अ., वृत्त-12 इंदौर, मे. यूनीवर्सल डिजिटल कनेक्ट टिन-23571204877 प्रकरण क्र. CS122096	2012-13 दिसम्बर 2014	टेबलेट्स 8,63,535	13 5	69,083 शास्ति 2,07,249 योग 2.76 लाख	13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
15	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन सारणी टिन-23234702496 प्रकरण क्र. 773/2013 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स 1,22,26,535	05 0	6.11 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वैल्डिंग इलैक्ट्रोड्स को उपभोगीय समग्री मानते हुए करारोपण नहीं किया गया। जबकि अपीलीय प्राधिकारी के	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

16	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन सारणी टिन-23234702496 प्रकरण क्रं. CS99612 (वैट)	2011-12 जनवरी 2014	बैल्लिंग इलैक्ट्रोड्स 92,66,602	05 0	4.63 लाख	आदेश दि. 19 नवम्बर 2014 मे. फर्नेश कंस्ट्र. कं. उज्जैन के प्रकरण के अनुसार यह स्थानान्तरणीय समग्री है।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
17	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन सारणी टिन-23234702496 प्रकरण क्रं. 39/2011 (वैट)	2010-11 अप्रैल 2013	बैल्लिंग इलैक्ट्रोड्स 22,22,684	05 0	1.11 लाख		निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18	वा.क.अ., वृत्त-4 ग्वालियर, मे. एम. के. एयर प्रोडक्ट्स, प्रा.लि. टिन-23685405159 प्रकरण क्र. CS331568 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	ऑक्सीजन, आर्गन 76,31,312	13 5	6,10,505 शास्ति 18,31,515 योग 24.42 लाख	आर्गन एवं ऑक्सीजन गैस 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, जबकि 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर, मे. वाडीलाल कैमीकल्स टिन-23070201784 प्रकरण क्र. CS141117	2011-12 जून 2014	आर्गन एवं हीलियम गैस 66,87,168	13 5	5.35 लाख	आर्गन एवं हीलियम गैस 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है, जबकि 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
20	स.आ.वा.क., वृत्त-IX इंदौर, मे. आर व्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन-23530904199 प्रकरण क्र. CS0000000245807	2012-13 फरवरी 2015	इमल्सन 12,85,515	13 5	1,02,841 शास्ति 3,08,523 योग= 4.11 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21	स.आ.वा.क., वृत्त-नीमच मे. मित्तल कंस्ट्र. यूनिट, मन्दसौर टिन-23383104484 प्रकरण क्र. 149/2012 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	प्री फेब्रीकेटेडस्टील बिल्लिंग/पी.ई. (पोली-इथिलेन) बोर्ड 5,68,78,846	13 5	48,03,766 शास्ति 1,44,11,298 योग 192.15 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

22	वा.क.अ., वृत्त-वैदहन जिला-सिंगरौली मे. एम. के. एसोसिएट्स, सिंगरौली टिन-23647300658 प्रकरण क्रं. 05/2012 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	मशीनरी पार्ट्स 2,80,80,947	<u>13</u> 5	22.46 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यावसायी द्वारा अन्य राज्य से एच ई एम एम पार्ट्स का क्रय किया गया। फार्म-49 में दर्शाये गए स्पेयर पार्ट्स एच ई एम एम पार्ट्स हैं, जो कि 5 प्रतिशत से कर योग्य थे। उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि फार्म-49 के सामग्री के विवरण में एम/सी पार्ट्स जो कि मशीनरी पार्ट्स होने से प्रविष्ट क्रमांक II/IV/I के तहत 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
23	उ.वा.क., खण्डवां मे. शीतल मोटर्स, खण्डवां टिन-23732003972	2010-11 सितम्बर 2015	ट्रैक्टर एक्सेसरीज 22,44,129	<u>13</u> 5	1,79,530 शास्ति 5,38,590 योग 7.18 लाख	ट्रैक्टर एक्सेसरीज प्रविष्ट क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी, खण्डवां ने उत्तर में बताया कि प्रविष्टि क्रमांक II/II/90 के तहत 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया है क्योंकि हुड, हुक्स, बम्पर ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि सामग्री ट्रैक्टर एक्सेसरीज है न कि पार्ट्स, जो कि प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत कर योग्य है।
24	उ.वा.क., संभाग-2, भोपाल मे. विशाल निर्मिति प्रा.लि. टिन-23464302875 प्रकरण क्रं. 147,148/2013	2012-13 फरवरी 2015	स्लीपर प्लांट एवं मशीनरी 16,50,950	<u>13</u> 5	1,32,076 शास्ति 3,96,228 योग 5.28 लाख	इस पर 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25	उ.वा.क., संभाग-2, इंदौर मे. हेन्ज इण्डिया प्रा.लि. टिन-23261101306 प्रकरण क्रं. CS000092227/2012	2011-12 जून 2014	ग्लूकोज-डी 11,60,00,731	<u>13</u> 5	92,80,058 शास्ति 2,78,40,174 योग 371.20 लाख	यह पाया गया कि ग्लूकोज-डी 5 प्रतिशत के स्थान पर विशिष्ट प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत 13 प्रतिशत कर योग्य था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि ग्लूकोज-डी प्रविष्टि क्रमांक II/II/55 (80) के तहत औद्योगिक आगत था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ग्लूकोज ब्राण्ड नाम ग्लूकोन-डी के तहत विक्रय किया गया था, जो कि गैर अनुशंसित उपभोक्ता उत्पाद है न कि औद्योगिक उत्पाद।

26	स.आ.वा.क., वृत्त-2, इंदौर मे. मेरीको प्रा.लि. टिन-23811100731 प्रकरण क्र. 35/2013	2010-11 सितम्बर 2013	मेडीकर एन्टी लाईस ट्रीटमेन्ट 92,07,175	$\frac{13}{5}$	7.37 लाख	यह पाया गया कि मेडीकर एन्टी लाईस 5 प्रतिशत के स्थान पर विशिष्ट प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के तहत 13 प्रतिशत कर योग्य था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि मेडीकर एन्टी लाईस पर कर की दर 5 प्रतिशत है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मेडीकर एक गैर अनुशासित उपभोक्ता/कास्मेटिक उत्पाद (शैम्पू) है और 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
27	उपा.वा.क., खण्डवां मे. टेक्समों पाईप्स एण्ड प्रोडक्ट्स लि. टिन-23151910492 प्रकरण क्र. CS00078038 वैट	2011-12 जून 2014	पाईप्स 2,35,08,724	$\frac{5}{0}$	11,75,436 शास्ति 35,26,308 योग 47.02 लाख	यह पाया गया कि पाईप 0 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य था।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
योग			70,92,29,512	कर शास्ति योग	5.53 करोड़ 5.70 करोड़ 11.23 करोड़		

परिशिष्ट—XI
(कंडिका 3.6.1 के संदर्भ में)
अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति (आई टी आर)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ., रीवा मे. शशांक इनफोकाम, प्रा. लि. टिन-23349029594 प्रकरण क्र. 532/13 वैट	2012-13 जनवरी 2015	4,05,626 4,79,155	0.74 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जबकि अंकक्षित लेखाओं में अभिलिखित क्रय पर आगत कर छूट कम थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि क्रय बीजकों के सत्यापन पश्चात आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि आगत कर छूट अंकक्षित लेखाओं के सत्यापित क्रय के अनुसार दिया जाना चाहिए था।
2	वा.क.अ., गुना मे. घनश्याम दास राजेन्द्र कुमार टिन-23705002301 प्रकरण क्र. 05/2012 वैट	2011-12 जुलाई 2014	11,457 59,669	48,212 शास्ति 1,44,636 1.93 लाख	अधिसूचना क्र. ए-5-5-07-1-व्ही (2) दि. 4-01-2008 के अनुसार सोयाबीन वैट अधिनियम की धारा 26 (ए) के तहत अधिसूचित है। अतः सोयाबीन पर आगत कर छूट स्वीकार्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3	वा.क.अ., शिवपुरी मे. छत्रपाल ट्रेडर्स टिन-23535602103 प्रकरण क्र. 45/12 वैट	2011-12 स्व-कर निर्धारण	40,79,079 42,29,342	1,50,263 शास्ति 4,50,789 6.01 लाख	यह एक स्व-कर निर्धारण है। व्यवसायी द्वारा अंकक्षित खाता में दर्ज क्रय से अधिक पर अपने विवरणियों में व्यापार खातों की विवरणियों में आई टी आर का दावा किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
4	वा.क.अ., वृत्त-सागर मे. मदन मोहन लक्ष्मीनारायण टिन-23217500957 प्रकरण क्र. 07/2013 वैट	2012-13 स्व-कर निर्धारण	29,71,537 30,18,240	46,703 शास्ति 1,40,109 1.87 लाख	अंकेक्षित खातों मे. दर्ज आगत कर छूट से अधिक आगत कर का दावा विवरणियों मेकिया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
5	वा.क.अ., इटारसी मे. अग्रवाल इंजीनियरिंग एण्ड कन्टेनर्स टिन-23304301993 प्रकरण क्र. CS0000000151837 वैट	2011-12 जून 2014	3,98,328 4,44,530	46,202 शास्ति 1,38,606 1.85 लाख	व्यवसायी द्वारा त्रुटिपूर्ण गणना की प्रस्तावना के कारण निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक आगत कर छूट स्वीकृत की गई। (वा. क.अ. द्वारा ₹ 33,08,811 पर 5 प्रतिशत की दर से ₹ 1,72,970 एवं ₹ 17,91,750 पर 13 प्रतिशत से ₹ 2,71,560 की आगत कर छूट संगणित की गई थी।)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6	वा.क.अ., छिंदवाड़ा मे. श्री ट्रेडर्स टिन-23126600992 प्रकरण क्र. 101/13 (CS0000000169217) वैट	2012-13 नवम्बर 2014	41,62,675 42,29,747	67,072	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के वाष्पीकरण के कारण कमी पर रिवर्सल नहीं किया, और इस वाष्पित मात्रा पर भी आगत कर छूट दी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7	वा.क.अ., खण्डवा मे. नर्मदा एगो एजेंसी टिन-23972005974 प्रकरण क्र. 835/2011 वैट	2010-11 जुलाई 2013	88,413 1,51,546	63,133 शास्ति 1,89,399 2.53 लाख	प्रांत बाहर के क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
8	वा.क.अ.-3, ग्वालियर मे. निधी (I) इण्डस्ट्रीज टिन-23575304291 प्रकरण क्र. CS0000000149832 वैट	2011-12 जून2014	6,50,220 7,14,852	64,632 शास्ति 1,93,896 2.59 लाख	अधिनियम की धारा 14 (6) (vi) के अनुसार कार्यालय/स्वयं के भवन निर्माण के लिए क्रय सामग्री पर आगत कर छूट की पात्रता नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
9	वा.क.अ., बैतुल मे. भजन शाह कान्ट्रेक्टर टिन-23799014611 प्रकरण क्र. CS0000000202056 वैट	2012-13 जनवरी2015	4,06,183 5,94,294	1,88,111 शास्ति 5,64,333 7.52 लाख	आडिट रिपोर्ट में दर्ज क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
10	वा.क.अ., बालाघाट मे. अनीश इंटरप्राइजेज टिन-23346504356 प्रकरण क्र. 129/2012 वैट	2011-12 मई2014	निरंक 1,43,919	1.44 लाख	प्रांत बाहर के क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
11	स.आ.वा.क., सागर-I मे. मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि. टिन-23617505587 प्रकरण क्र. 99/2014	2013-14 फरवरी 2015		6,82,804 शास्ति 20,48,412 27.31 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आयरन एवं स्टील को प्लांट एवं मशीनरी मानते हुए आगत कर छूट स्वीकृत किया, जो कि आगत कर छूट योग्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
12	वा.क.अ., नरसिंहपुर मे. केशवानंद इंटरप्राइजेज टिन-23096403662	2011-12 जुलाई2014	5,25,982 14,17,024	7.13 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय ₹ 14,17,024 की क्रयपर 13 प्रतिशत की दर	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
	प्रकरण क्र. 322 / 12				से ₹ 1,84,213 आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जब कि व्यवसायी द्वारा ₹ 5,25,982 की क्रय पर 13 प्रतिशत की दर से वैट का भुगतान किया गया।	
13	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. एयर परफेक्सन टिन-23435803724 प्रकरण क्र. 167454 वैट	2011-12 जुलाई2014	88,11,281 95,00,601	87,140 शास्ति 2,61,420 योग 3.49 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय ₹ 95,00,601 पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जब कि पंजीकृत व्यवसाइयों से ₹ 88,11,281 मात्र का क्रय किया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
14	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. एम पी वुड प्रोडक्ट टिन-23935804031 प्रकरण क्र. 194073	2012-13 दिसम्बर2014	6,15,718 16,08,908	1,29,115 शास्ति 3,78,345 योग 5.07 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लकड़ी क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जो कि प्रांत बाहर विक्रय किया गया है। जबकि मध्यप्रदेश के भीतर लकड़ी की विक्रय होने पर आगत कर छूट स्वीकार्य होना चाहिए।	निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर मे स्वीकृत आगत कर छूट की एक गणना प्रस्तुत की और बताया कि कम आगत कर छूट स्वीकृत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विक्रय को सकल विक्रय एवं क्रय को निवलक्रय माना, जब कि लेखों मे दर्ज क्रय एवं विक्रय में कर शामिल नहीं हैं। गणना मे ली गई लाभ की दर भी अंकक्षित लेखों के अनुरूप नहीं है जबकि आपत्ति मे ली गई लाभ की दर अंकक्षित लेखों के अनुरूप है।
15	वा.क.अ.-I, जबलपुर मे. स्टैंडर्ड लकड़ी टिन-23615800812 प्रकरण क्र. 19591	2012-13 मार्च 2015	73,05,479 75,66,415 2(x)(iii)	30,018 शास्ति 90,054 योग 1.20 लाख		
16	उ.वा.क., संभाग-II, भोपाल मे. एच.ई.जी. लि.	2012-13 फरवरी2015	60,48,57,294 63,12,04,914	21.13 लाख	फर्नेश आयल के क्रय मूल्य ₹ 70,24,22,960 एवं	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
	टिन-23214100234 प्रकरण क्र. 52/13				लुब्रिकेंट आयल के क्रय मूल्य ₹ 95,91,615 पर 13 प्रतिशत की दर से आगत कर छूट स्वीकृत किया गया था, जबकि पुस्तकों के अनुसार क्रय मूल्य ₹ 69,25,84,472 एवं ₹ 23,08,803 प्रमाणित होता है।	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
17	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. ब्रजेश कुमार शांडिल्य टिन-23824703772 प्रकरण क्र. 412/2011वैट	2010-11 सितम्बर2013	2,11,320 7,84,138	5,72,818 शास्ति 17,18,454 योग 22.91 लाख	अकेक्षित प्रतिवेदन के अनुसार वैट ₹ 2,11,320 का भुगतान किया गया। जबकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 7,84,138 की आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18	वा.क.अ., वृत्त-बैतूल मे. राधेश्याम अग्रवाल टिन-23404701287 प्रकरण क्र. CS2771 वैट	2010-11 सितम्बर2013	7,32,615 8,19,877	87,262 शास्ति 2,61,786 योग 3.49 लाख	क्रय सूची के अनुसार प्रांत बाहर से ₹ 6,71,249 की इलेक्ट्रीकल सामग्री क्रय की गई, जिस पर आगत कर छूट स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19	वा.क.अ., वृत्त-4 ग्वालियर मे. अग्रवाल ऑटोमोबाईल्स टिन-23455100657 प्रकरण क्र. 780/13	2012-13 स्व-कर निर्धारण	90,69,575 91,63,356	0.94 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
20	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. शैल कृपा सर्विस टिन-2314023540 प्रकरण क्र. CS309331	2012-13 फरवरी 2015	2,90,86,734 2,91,39,318	0.53 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. अमूल फीलिंग स्टेशन टिन-23709067288 प्रकरण क्र. CS311159	2012-13 फरवरी 2015	34,87,565 34,94,444	0.07 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
22	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. आल इंडिया ट्रेडिंग कं. टिन-230660200286 प्रकरण क्र. CS237844	2012-13 फरवरी 2015	3,30,35,007 3,30,64,681	0.30 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
23	वा.क.अ., वृत्त-2 इंदौर मे. जुबली फ्यूल स्टेशन टिन-23960203865 प्रकरण क्र. CS270475	2012-13 फरवरी 2015	3,29,82,106 3,30,35,007	0.53 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
24	वा.क.अ.,-इटारसी मे. स्वास्तिक ट्रेडिंग मार्ट टिन-23154300184 प्रकरण क्र. 443/2013	2012-13 स्व-कर निर्धारण	निरंक 405,220	16,00,793 शास्ति 48,02,379 योग 64.03 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लकडीक्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया जो कि प्रांत बाहर विक्रय किया गया था, जबकि मध्यप्रदेश के भीतर लकडी के विक्रय पर ही आगत कर छूट स्वीकार्य है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25	वा.क.अ.,-इटारसी मे. स्वास्तिक ट्रेडिंग मार्ट टिन-23154300184 प्रकरण क्र. 50/14	2013-14	निरंक 6,34,430	9,71,835 शास्ति 29,15,505 योग 38.87 लाख		
26	वा.क.अ.,-इटारसी मे. सरस्वती सॉ मिल	2012-13 फरवरी 2015	निरंक 7,88,565	20,75,695 शास्ति 62,27,085		

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
	टिन-23284300452 प्रकरण क्र. 448 / 2013			योग 83.03 लाख		
27	वा.क.अ.,-इटारसी मे. सरस्वती सॉ मिल टिन-23284300452 प्रकरण क्र. 74 / 14	2013-14	निरंक 8,80,546	16,45,090 शास्ति 49,35,270 योग 65.80 लाख		
28	वा.क.अ.,-इटारसी मे. ज्योति लकडी मार्ट टिन-23624302205 प्रकरण क्र. 511 / 13	2012-13	निरंक 3,17,600	11,53,620 शास्ति 34,60,860 योग 46.14 लाख		
29	वा.क.अ.,-अनूपपुर मे. एस. आर. ट्रेडिंग टिन-23267203188 प्रकरण क्र.34 / 2013 वैट	2013-14 स्व-कर निर्धारण	15,70,922 16,19,938	49,016 शास्ति 1,47,048 योग 1.96 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 16,19,938 /-आगत कर छूट स्वीकृत किया गया, जबकि अकेक्षित लेखाओं के अनुसार आगत कर ₹ 15,70,222 /- है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मेअंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
30	स.आ.व.क. संभाग-रतलाम मे. पटेल ऑटोमोबाईल्स टिन-23863400458 प्रकरण क्र. CS147566	2012-13 जनवरी2015	9,49,98,761 9,53,20,356	3.22 लाख	वधित पेट्रोल या मात्रा मे कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
31	मे. शाहिद गिरिजेश गुप्ता पेट्रोलियम टिन-23982902879 प्रकरण क्र. CS202298	2012-13 फरवरी2015	62,51,694 62,77,295	0.26 लाख		
32	मे. स्कवेयर आटोमोबाईल टिन-23193400293 प्रकरण क्र. CS147567	2012-13 फरवरी 2015	3,39,65,908 3,40,44,986	79,078		

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
33	मे. उदयरक्षक फ्यूल टिन-23802902105 प्रकरण क्र. CS154859	2012-13 फरवरी 2015	2,10,77,132 2,11,11,377	34,245 4.61 लाख		
34	स.आ.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. बी.सी. आटोमोबाईल टिन-23535100904 प्रकरण क्र. CS323277	2012-13 फरवरी 2015	1,73,17,376 1,75,32,364	2.15 लाख	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
35	वा.क.अ., वृत्त-14 इंदौर मे. ऊषाराज फ्यूलस टिन-23141403527 प्रकरण क्र. 30/14 (टी)	2013-14 फरवरी 2015	3,55,78,907 3,57,60,087	1,81,180	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
36	मे. कुमुदिनी इंटरप्राइजेज टिन-23401401153 प्रकरण क्र. 76/13 (टी)	2012-13 दिसम्बर 2014	302,40,036 302,71,804	31,768 2.13 लाख		
37	स.आ.व.क. संभाग-2 इंदौर मे. खण्डेलवाल हाईवे सर्विसेज टिन-23811100955 प्रकरण क्र. 22/2013 वैट	2012-13 फरवरी 2015	404,65,681 1,87,92,897	0.8 करोड़ 1.3 करोड़ 2.1 करोड़	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रकरण धारा-54 के तहत खोला गया और कार्यवाही की गयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
38	स.अ.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. मन्नालाल लच्छीराम एण्ड सन्स टिन-23961001690 प्रकरण क्र. 02/2013 वैट	2012-13 दिसम्बर 2014	6,31,61,484 6,32,82,822	1.21 लाख	वर्धित पेट्रोल या मात्रा में कमी दर्शाये हुए पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य पर आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
39	वा.क.अ., वृत्त-1 जबलपुर मे. यूनैटी कंस्ट्रक्शन	2011-12 नवम्बर 2014	3,60,564 4,85,857	1.25 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय पर वास्तविक चुकाए	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
	टिन-23315804372 प्रकरण क्र. 121/2012 वैट				गए आगत कर से अधिक आगत कर छूट स्वीकृत की गई।	लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
40	उ.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. एस.जी. मोटर्स प्रा.लि. टिन-23115303089 प्रकरण क्र. 69/13	2012-13 जनवरी2015	19,76,40,718 19,83,77,923	7,37,205 शास्ति 22,11,615 योग 29.49 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेक्षित लेखाओं मे. दर्ज क्रय की राशि से अधिक राशि पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
41	वा.क.अ., वृत्त-9 इंदौर मे. राकेश मेडिकल एजेंसी टिन-23420904211 प्रकरण क्र. 95/13	2012-13 फरवरी2015	1,41,094 2,00,318	59,224 शास्ति 1,77,672 योग 2.37 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय वापसी पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
42	स.आ.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. खण्डेलवाल हाईवे सर्विस टिन-23811100955 प्रकरण क्र. 22/13	2012-13 फरवरी2015	42124358 20821111	2.1 करोड़	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवसायी को दावा किए गए आगत कर छूट के विरुद्ध अधिक आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि धारा-54 के तहत प्रकरण में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।
43	उपा.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. अतुल पोलिकेम टिन-23051100209 प्रकरण क्र.3/13	2012-13 फरवरी 2015	1498910 10123693	86.25 लाख	अंकेक्षित खातों मे आगत कर छूट ₹ 14,98,910/- का दावा किया गया जब कि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 101,23,693 आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि अंकेक्षित खाते मे. क्रय पर भुगतान किए गए कर तथा विक्रय पर संग्रहित किए गए करों के मध्य अंतर को दर्शित करती है। उत्तर तक्रसंगत नहीं है क्योंकि क्रय एवं विक्रय पृथक अनुसूचियों में दर्शाये गए हैं। सूची 26 के अनुसार वैट संग्रह ₹ 14,98,910/- दर्शाया गया है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार /आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
44	स.आ.व.क. संभाग-2 जबलपुर मे. अजय फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. , कटनी टिन-2392603143 प्रकरण क्र. 21/2013	2012-13 दिसम्बर2014	66,26,50 96,26,50	3 लाख	वर्ष 2011-12 के निर्धारण आदेश मे आगत कर छूट ₹ 6,62,650 स्वीकृत किया गया था लेकिन त्रुटिवश 2012-13 मे. ₹ 9,62,650 अग्रेषित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
45	वा.क.अ., दमोह मे. स्वपनिल अरोड़ा टिन-23227603432 प्रकरण क्र. 206/11/प्रोवेंसियल	2011-12 सितम्बर2013	61,521 28,12,50	61,521 शास्ति 18,45,63 योग 2.46 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ब्लैक स्टोन मेटल पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया जबकि कर चुकी सामग्री होने के कारण यह आगत कर छूट के योग्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
46	वा.क.अ.-2 कटनी मे. आर्चिएन इंडस्ट्रीज मिनरल सप्लायर टिन-23766206044 प्रकरण क्र.CS000000063659 वैट	2010-11 सितम्बर2013	83336 119456	35,920 शास्ति 10,77,60 योग 1.43 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेक्षित खाते मे. दर्ज क्रय की राशि से अधिक राशिपर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
47	वा.क.अ. दमोह मे. चौधरी उत्तमचंद जैन टिन-23397600574 प्रकरण क्र. 31/11 वैट	2010-11 सितम्बर 2013	830409 871930	41,521 शास्ति 12,45,63 योग 1.66 लाख	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल क्रय को शुद्ध क्रय मानकर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
48	स.आ.व.क. संभाग-2 इंदौर मे. सोनी एण्ड सन्स टिन-23811104447 प्रकरण क्र. 39/2013	2012-13	5998393 6157320	1,58,927 शास्ति 47,67,81 योग 6.36 लाख	त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अधिक आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	आगत कर छूट बुक्स या नियमानुसार / आगत कर छूट नि. अ. द्वारा निर्धारित	स्वीकृत अधिक आगत कर छूट	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/ लेखापरीक्षा का अभिमत
49	वा.क.अ.-2 ग्वालियर मे. राघवेंद्र पेट्रोल पम्प टिन-23265006332 प्रकरण क्र. CS0000000274562 वैट	2012-13 दिसम्बर 2014	52245142 53070135	8.52 लाख	पेट्रोल डीजल पर बिना बिक्रय के आगत कर छूट स्वीकृत किया गया। वाष्पीकरण पर भी आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वैट अधिनियम 2006 की धारा 2 (v) के अनुसार विक्रय मूल्य (पेट्रोल एवं डीजल के लिए) का अर्थ आयल कंपनियों को प्राप्त या प्राप्ति योग्य मूल्य की राशि से है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत किया गया आगत कर छूट अधिनियम की धारा 14(1ac) के अनुसार उचित नहीं है एवं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित में डीजल एवं पेट्रोल के विक्रय मूल्य पर कोई टीप नहीं की गयी है।
50	स.आ.वा.क. संभाग-2इंदौर मे. गैस पॉइंट इंदौर टिन-23650601396 प्रकरण क्र.5/12 वैट	2011-12 मई 2014	6345128 6399156	5,40,28 शास्ति 1,60,84 योग 2.15 लाख	अंकेक्षित खातों मे. दर्ज क्रय राशि से अधिक राशि पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि आगत कर छूट प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर स्वीकृत किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आगत कर छूट अंकेक्षित खातों के अनुसार क्रय पर स्वीकृत किया जाना चाहिए।
51	स.आ.वा.क. संभाग-2इंदौर मे. गोल्ड स्टार पेन्टस् प्रा.लि. इंदौर टिन-23491105011 प्रकरण क्र.43/2013 वैट	2012-13 फरवरी 2015	12033334 13075889	10,42,555 शास्ति 31,27,665 योग 41.70 लाख	अंकेक्षित खातों मे. दर्ज क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर छूट स्वीकृत किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
			कर शास्ति योग	6.76 करोड़ 3.56 करोड़ 10.32 करोड़		

परिशिष्ट–XII
(कांडिका 3.6.2 के संदर्भ में)
राज्य के बाहर स्टॉक अंतरणमें आगत कर कारिवर्सल नहीं किया जाना/कम रिवर्सल

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यावसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	पुस्तकों या नियमानुसार आगत कर छूट/निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आगत कर छूट	अधिक स्वीकृत आगत कर छूट (₹)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ., बालाघाट मे.रिभा टाईल्स टिन-23436506974 प्रकरण क्र. 79/2012 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	6,416 51,273	44,857 शास्ति 1,34,571 योग 1.79 लाख	आगत कर छूट प्रावधान के अनुसार कर मुक्त सामग्री के उत्पादन में आगत कर छूट चार प्रतिशत से अधिक पर ही मान्य है। प्रकरण के साथ संलग्न कुछ क्रय बिल अंतरिम एवं अहस्ताक्षरित हैं अतएव उन बिलों पर आगत कर छूट मान्य नहीं हैं।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2	उ.वा.क.सागर मे.डॉयमड सीमे.ट टिन-23937600956 प्रकरण क्र. 37/13 (वैट)	2012-13 जनवरी 2015	आगत कर छूट वापसी 1,74,64,206 1,64,60,166	10.04 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक अंतरण एवं विक्रय की गणना गलत की गई। इस कारण इन दोनों राशियों का अनुपात भी गलत निकाला गया जिसके फलस्वरूप आगत कर छूट का कम रिवर्सल हुआ।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आगत कर छूट का रिवर्सल शाखा अंतरण एवं सकल विक्रय के अनुपात के आधार पर दी गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छूट की गणना हेतु अनुपात सकल टर्नओवर में से स्क्रेप विक्रय (राज्यीय + केन्द्रीय), कैंटीन विक्रय एवं वैट की समस्त राशियाँ घटाने के बाद निकल जाना चाहिए था।

3	उ.वा.क. सागर मे.डांयमड सीमे.ट टिन-23937600956 प्रकरण क्र. 56/11 (वैट)	2010-11 सितम्बर2013	आगत कर छूट रिवर्सल <u>71,40,969</u> 70,44,108	0.97 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक अंतरण एवं विक्रय की गणना गलत की गई। इस कारण इन दोनों राशियों का अनुपात भी गलत निकाला गया जिसके फलस्वरूप आगत कर छूट का कम रिवर्सल हुआ।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि आगत कर छूट की वापसी सकल टर्नओवर में से स्क्रेप विक्रय की राशि घटाने के बाद प्राप्त अनुपात के आधार पर की गई । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छूट की गणना हेतु अनुपात सकल टर्नओवर में से स्क्रेप विक्रय (राज्यीय + केन्द्रीय), कैंटीन विक्रय एवं वैट की समस्त राशियाँ घटाने के बाद निकल जाना चाहिए।
योग				11.46 लाख शास्ति 1.35 लाख 12.81लाख		

परिशिष्ट—XIII
(कंडिका 3.7 के संदर्भ में)
कर योग्य राशि का गलत निर्धारण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम / व्यवसायी	अवधि / निर्धारण का माह	लेखों के अनुसार कर योग्य विक्रय / निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की दर (%)	कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण	कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर / लेखापरीक्षा अभिमत
1.	उ.वा.क. सभाग-II ग्वालियर मे. शरदा सोलवेंट टिन-23965703765 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000272190 (वैट)	2012-13 जनवरी 2015	40,01,857 15,78,945	1.5	24,22,912	36,343 शास्ति 1,09,031 योग 1.45 लाख	पुराने वाहन की बिक्री (स्थाई सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2.	वा.क.अ. रीवा मे. भैयालाल इंफ्रास्ट्रक्चर्स टिन-23188900204 प्रकरण क्र. सी.एस.0000000086499 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	5,55,39,512 5,46,64,512	5	8,36,159	0.42 लाख	पे लोडर मशीन के विक्रय मूल्य (स्थाई सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को सकल विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	वा.क.अ.वृत्त बैतूल मे. इण्डवैल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टिन-23234702496 प्रकरण क्र. 773/13 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	39,49,266 निरंक	5	39,49,266	1.97 लाख	निर्माण ठेके में हस्तांतरित स्टील पाईपों को प्रक्रिया में उपभोग मानते हुए कर का आरोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
4.	वा.क.अ.वृत्त बैतूल मे.गणेश एग्रो हिवारखेडा, बैतूल	2010-11 जुलाई 2013	1,41,12,836 1,29,07,510	5	12,05,326	60,266 शास्ति 1,80,799 योग 2.41 लाख	विवरणियों में दर्शित विक्रय पर वैट का करारोपण न करना।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

	टिन-23544704702 प्रकरण क्र. 506 / 11 (वैट)							लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
5.	वा.क.अ.वृत्त 2 छिंदवाड़ा मे. टरमैक कंटरक्शन क. टिन-23876801321 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000218596 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	66,18,446 32,10,000	5	34,08,446	1,70,422 ब्याज 48,570 योग 2.19 लाख	कुछ मर्दों में विक्रय मूल्य पर कर निर्धारण 5 प्रतिशत की दर से किया गया जबकि वे 13 प्रतिशत से कर योग्य थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	वा.क.अ.वृत्त 2 छिंदवाड़ा मे. राजेन्द्र कुमार टिन-23056800802 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000302640 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	85,89,069 72,49,038	13 एवं 5	13,40,031	1,56,298 ब्याज 44,545 योग= 2.01 लाख	कर निर्धारण आदेश में सामग्रियों पर 13% एवं 5% की दर से कर निर्धारण में त्रुटियां की गईं। अतः लेखापरीक्षा द्वारा कर योग्य प्राप्तियों की गणना सामग्री की खपत (प्रारंभिक भंडार + क्रय - अंतिम भंडार) के आधार पर की गई है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि कर निर्धारण गत वर्ष में व्यवसायी द्वारा किये क्रय के आधार पर किया गया था एवं अंतिम स्टॉक कर मुक्त रहा था। उत्तर के परिपेक्ष्य में कंडिका को संशोधित किया एवं क्रय राशि में लाभ जोड़कर कर योग्य राशि की गणना की गई।
7.	वा.क.अ.वृत्त 2, छिंदवाड़ा मे. योगेश कृषि सेवा केन्द्र टिन-23976801072 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000156736 (वैट)	2012-13 जुलाई 2014	6,85,80,687 6,81,74,796	13	4,05,891	52,766 ब्याज 11,081 योग= 0,64 लाख	वाहनों की सर्विस में उपयोग किये गये ऑयल पर करारोपण न करना।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8.	वा.क.अ.वृत्त 2 छिंदवाड़ा मे. निकेत उद्योग लि. टिन-23086801804 प्रकरण क्र. सी.एस.0000000294126 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	3,87,77,856 3,18,12,314	13	69,65,542	9,05,520 ब्याज 2,58,073 योग= 11,66 लाख	डिलेवरी चार्ज का ₹ 69,65,542 की छूट बीजकों में पृथक से प्रभारित नहीं थी। अतः दी गई छूट स्वीकार योग्य नहीं है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
9.	वा.क.अ.वृत्त 1 छिंदवाड़ा मे. हेमकुंत कंटरक्शन कं. नागपुर टिन-23326602919 प्रकरण क्र. 2 / सी-ओपन / 13 / 350 /	2011-12 जून 2014	29,98,611 20,97,402	5 एवं 13	9,01,209	55,288 शास्ति 1,65,864 योग = 2.21 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लोहा एवं इस्पात की विक्रय राशि क्रय राशि से कम निर्धारित की गई साथ ही विक्रय राशि की गणना में लाभ भी शामिल नहीं किया	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

	12 (वैट)						गया।	
10.	स.आ.वा.क.सभाग- II ग्वालियर मे.राजमार्ग क्रियेशंस टिन-23125005827 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000094603 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	13,00,000 निरंक	5	13,00,000	65,000 शास्ति 1,95,000 योग= 2.60 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्थाई सम्पत्ति विवरण अनुसार टाटा हितैची (अर्थमूविंग मशीन) की विक्रय राशि पर करारोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
11.	स.आ.वा.क.वृत्त-IX इंदौर मे. एशियन पेन्टस टिन-23460901182 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000077616 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	7,43,94,224 6,69,26,139	5 एवं 13	74,68,085	9,70,851 शास्ति 29,12,553 योग 38.83 लाख	अंकेक्षित खाता में विक्रय वैट रहित दर्ज थी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
12.	स.आ.वा.क वृत्त-IX इंदौर मे.रामदीन अल्ट्राटेक प्रा.लि. टिन-23160905033 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000074820 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	1,90,35,300 1,36,21,416	5 एवं 13	54,13,884	1.31 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कंपोजिशन कार्य के साथ बिना कंपोजिशन क्रय जोड़ने से विक्रय राशि का गलत निर्धारण।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
13.	वा.क.अ.वृत्त-रीवा मे. विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. टिन-23136902802 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000086544 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	8,05,07,347 7,77,90,559	5 एवं 13	27,16,788	2.21 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामग्री की लागत में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर विक्रय राशि निर्धारित की गई जबकि अंकेक्षित खाते के अनुसार सकल लाभ 13.83 प्रतिशत था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि सामग्री पर 3.10 प्रतिशत लाभ एवं मजदूरी पर 10.73 प्रतिशत है जबकि इस प्रकरण में 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य की गणना की है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

14.	वा.क.अ.वृत्त-सागर मे.सागर इन्टरप्राईजेज टिन-23647502612 प्रकरण क्र. 193 / 12 (वैट)	2011-12 स्व-कर निर्धारण	4,04,46,929 4,00,38,035	5 एवं 13	4,08,894	47,039 शास्ति 1,41,117 योग 1.88 लाख	व्यवसायी द्वारा विवरणियो में टर्नओवर लाभ-हानि खाते में दर्शाई गई विक्रय राशि से कम दर्शाया गया है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
15.	उ.वा.क., सागर मे.रोहित सरफैक्टेंस प्रा.लि. टिन-23157504482 प्रकरण क्र. 19 / 11 (वैट)	2011-12 सितम्बर 2013	5,99,89,10, 986+1,27,01,13 0 = 6,01,16,12,116 5,99,89,10,986	1.5 एवं 13	1,25,45,169 1,55,961	2.08 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन एवं प्लांट एवं मशीनरी विक्रय पर करारोपण नहीं किया गया है। (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार)	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
16.	उ.वा.क. सागर मे.के.पी.सोलवेक्स प्रा.लि. टिन-23367800556 प्रकरण क्र. 11 / 13 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	1,77,74,43,792 +91,92,561= 1,78,66,36,353 1,77,74,43,792	13	91,92,561	11.95 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय पर करारोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
17.	स.आ.वा.क.सभाग-1 इंदौर मे. नव भारत फर्टीलाइजर्स टिन-23730104324 प्रकरण क्र. सी एस 213616	2012-13 24.09.14	12,21,16,441 12,04,75,726	5	16,40,715	0.82 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकक्षित खातों में दर्ज विक्रय से कम विक्रय निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18.	वा.क.अ., बालाघाट मे. रायबहादुर श्रीराम क. प्रा.लि. टिन-23416503687 प्रकरण क्र. सीएस 290986	2012-13 22.12.14	4,47,81,817 1,52,74,136	1.5	1,52,74,136	2.29 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन की विक्रय राशि (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को टर्न आवेर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19.	वा.क.अ.बालाघाट मे. राधे श्याम मिनरल्स टिन-23836506948 प्रकरण क्र. 202 / 12 (वैट)	2011-12 30.07.14	1,59,71,641 97,86,941	5	61,84,700	3.09 लाख	व्यवसायी का मैग्नीज खनिज का व्यवसाय है, उसे टेके से प्राप्त ₹ 59,26,560 को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल टर्न ओवर में शामिल	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

							नहीं किया गया।	
20.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर मे. एक्सप्रेस हाईवे फिलिंग सेंटर टिन-23225306569 प्रकरण क्र. CS80382 (वैट)	2011-12 09.06.14	<u>24,53,49,937</u> 24,41,63,437	1.5	11,86,500	17,797 शास्ति 53,391 योग 0.71 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन की विक्रय राशि (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर मे. एम.जी.आर.जी. ऑटोमोबाईल प्रा.लि. टिन-2378530877 प्रकरण क्र. CS93154 (वैट)	2011-12 02.07.14	<u>10,02,53,883</u> 9,72,02,707	1.5	30,51,176	45,768 शास्ति 1,37,304 योग 1.83 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन की विक्रय राशि (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) को कर योग्य में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
22.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर मे. परिमित्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. टिन-23425303452 प्रकरण क्र. (वैट)	2011-12	<u>8,97,38,841</u> 8,86,14,396	13	11,24,445	1,46,177 शास्ति 4,38,531 योग 5.85 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लांट एवं मशीनरी की विक्रय राशि (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) को सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
23.	वा.क.अ. वृत्त-3 ग्वालियर (प्रभारी) मे. मलनपुर इंटेक प्रा.लि. यूनिट-2 टिन-23795305528 प्रकरण क्र. सीएस 174037 (वैट)	2011-12 18.07.14	<u>2,48,38,592</u> 2,46,58,592	13	1,80,000	23,400 शास्ति 70,200 योग 0.94 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लांट एवं मशीनरी की विक्रय राशि (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) को सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
24.	वा.क.अ. नौगांव मे. रहमनिया एजेंसी टिन-2337701099 प्रकरण क्र. 17/2011 (वैट)	2011-12 स्व-कर निर्धारण	<u>1,21,94,320</u> 1,13,60,675	13	8,33,645	0.96 लाख	व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खाते की बिक्री से विवरणियों में कम विक्रय दर्शाया गया। तथा कम कर भी जमा किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25.	स.आ. वा.क. संभाग-तीन इंदौर मे. प्रेस्टिज फेब्रिकेशन टिन-2374900252	2011-12 अप्रैल 2014	<u>24,98,68,350</u> 24,32,66,528	5	66,01,822	3,30,091 शास्ति 9,90,273 योग 13.20 लाख	अंकेक्षित खाते अनुसार विक्रय बिना वैट के दर्ज थी, जबकि लेखों में विक्रय को वैट सहित मानते हुए छूट	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही

	प्रकरण क्र. सी.एस.65479 (वैट)						दी गई।	अपेक्षित है।
26.	स.आ. वा.क. संभाग-तीन इंदौर मे. सतगुरआयसन एण्ड स्टील टिन-23300904665 प्रकरण क्र. 112/13 (वैट)	2012-13 नवम्बर 2014	20,79,89,876 20,64,08,088	13	15,81,788	2,05,633 शास्ति 6,16,899 योग 8.22 लाख	व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खाते की बिक्री से विवरणियों में कम विक्रय दर्शाया गया। तदनुसार कम कर भी जमा किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
27.	वा.क.अ. होशंगाबाद मे. वेंकटेश एण्ड डेवलपर टिन-23879053403 प्रकरण क्र. 454/13 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	90,52,882 12,94,314	13 एवं 5	77,58,568	7,11,706 शास्ति 21,35,118 योग 28.47 लाख	व्यवसायी द्वारा लेखा पुस्तकों में प्रारंभिक भण्डार में प्लेट नहीं दर्शाया गया जबकि व्यापार खातों में विक्रय दर्शाया गया है इस प्रकार कर योग्य विक्रय का कम किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
28.	वा.क.अ. होशंगाबाद मे. प्राचीर इंफ्रास्ट्रक्चर टिन-23099042811 प्रकरण क्र. 448/13 (वैट)	2012-13 मार्च 2015	5,41,81,327 4,37,01,228	13	1,04,80,099	13,62,413 शास्ति 40,87,239 योग 54.50 लाख	विक्रय मूल्य गणना मे. लाभ कम दर से जोड़ने से कर योग्य राशि का कम निर्धारण।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
29.	वा.क.अ. वृत्त-मंदसौर मे. गुप्ता स्टेशनरी टिन-23303102006 प्रकरण क्र. 98/12 (वैट)	2011-12 जून 2014	2,88,95,207 2,56,06,881	13 एवं 5	32,88,326	4,22,220 शास्ति 12,66,660 योग 16.89 लाख	अंकेक्षित खाते अनुसार क्रय एवं विक्रय मूल्य वैट सहित है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर जोड़कर छूट मान्य की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
30.	वा.क.अ. वृत्त-मंदसौर मे. महावीर प्लास्टिक टिन-23403002526 प्रकरण क्र. 271/12 (वैट)	2011-12 मई 2014	2,11,99,730 1,93,16,004	13 एवं 5	18,83,726	2.15 लाख	अंकेक्षित खाते अनुसार क्रय एवं विक्रय मूल्य कर सहित है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर जोड़कर छूट मान्य की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
31.	वा.क.अ. वृत्त-2 रतलाम मे. बलवीर सिंह राठौर टिन-23773403078	2012-13 मार्च 2015	3,78,28,391 3,52,05,339	5	26,22,992	1,31,150 शास्ति 3,93,450 योग 5.26 लाख	टर्न ओवर की गणना में रॉयलटी के खर्च शामिल नहीं किये गये हैं।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

	प्रकरण क्र. 461/12 (वैट)							लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
32.	स.आ. संभाग-तीन इंदौर मे. मोदी मार्केटिंग टिन-23060903924 प्रकरण क्र. 180919/12 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	27,54,12,926 24,71,27,821	13	2,82,85,105	36,77,064 शास्ति 1,10,31,192 योग 147.08 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार विक्रय में कर शामिल नहीं था लेकिन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा-2(x)(3) के अंतर्गत राशि ₹ 2,82,85,105 पर कर की छूट दी गयी जिसकी वजह से कर योग्य विक्रय कम निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
33.	स.आ. संभाग-एक सागर मे. जयनाम ऑटो लिंक टिन-23897505045 प्रकरण क्र. 137/12 (वैट)	2012-13 दिसम्बर 2014	12,79,46,330 12,75,22,539	13	4,23,791	55,093 शास्ति 1,65,279 योग 2.20 लाख	निःशुल्क सेवा फ्री सर्विस की राशि ₹ 4,23,791 की गलत छूट दी गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
34.	वा.क.अ. वृत्त-2 इंदौर मे. बालाजी ट्रेक्टर हाउस टिन-23920203693 प्रकरण क्र. 830/12 (वैट)	2011-12 अप्रैल 2014	6,91,00,685 6,72,24,353	5	18,76,332	93,816 शास्ति 2,81,448 योग 3.75 लाख	गारंटी दावा की प्राप्त राशि कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
35.	वा.क.अ. वृत्त-4 ग्वालियर मे. न्यू हिंसामग्रीया रेफीजरेसन ग्वालियर टिन-23735402270 प्रकरण क्र. 294/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	1,78,94,315 1,58,89,175	13	20,05,140	2.61 लाख	अंकेक्षित खाते के अनुसार जॉबवर्क प्राप्त राशि ₹ 96,49,622 को कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
36.	वा.क.अ. वृत्त- बैतूल मे. राधेश्याम अग्रवाल टिन-23404701287 प्रकरण क्र. सी.एस. 2771 (वैट)	2010-11 सितम्बर 2013	96,61,268 88,94,829	4 5 13	68,359 4,810 6,93,270	2,629 229 79,756 योग 0.83 लाख	निर्धारण आदेश में क्रय पर 8 प्रतिशत लाभ जोड़ा गया है जबकि अंकेक्षित खाते अनुसार सकल लाभ 17.62 प्रतिशत है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
37.	वा.क.अ. वृत्त- 14 इंदौर मे. देव एग्रो केमिकल टिन-23531404137	2011-12 जून 2014	3,80,04,200 2,91,89,230	5	58,14,970	2,90,748 शास्ति 8,72,244 योग 11.62 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।

	प्रकरण क्र. 560/12 (वैट)							लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
38.	स.आ. डिविजन-2 ग्वालियर मे. अनुराग दाल मिल टिन-23975003177 प्रकरण क्र. सी.एस. 171765 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	<u>16,54,95,702</u> <u>16,41,18,664</u>	5	13,77,038	0.69 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
39.	स.आ. डिविजन-2 ग्वालियर मे. एस.के. इंडस्ट्रीज टिन-23644802132 प्रकरण क्र. सी.एस. 167377 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	<u>1,29,60,209</u> <u>1,21,47,578</u>	1.5	8,12,631	12,189 शास्ति 36,567 योग 0.49 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुराने वाहन (स्थायी सम्पत्ति विवरण के अनुसार) की विक्रय राशि को कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं किया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
40.	वा.क.अ.-1 जबलपुर मे. वृहतकर प्राथमिक सहकारी समीति टिन-23145800343	2011-12 जून 2014	<u>88,04,471</u> <u>59,39,787</u>	5	28,64,684	1.43 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
41.	वा.क.अ अनुपपूर मे. श्रीराम कंस्ट्रक्शन टिन-23077203244 प्रकरण क्र. 4/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	<u>5,07,22,379</u> <u>1,21,79,329</u>	5	3,42,12,940	17.11 लाख	अंकेक्षित खाते में दर्ज विक्रय से कम विक्रय का निर्धारित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
42.	वा.क.अ अनुपपूर मे.अनिल कंस्ट्रक्शन टिन-23137204181 प्रकरण क्र. 45/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	<u>1,61,06,530</u> <u>1,47,64,319</u>	5	13,42,211	0.67 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल विक्रय राशि में मिट्टी कार्य की छूट दी गयी और पुनः 40 प्रतिशत मजदूरी सकल टर्न ओवर से घटाई गयी। जबकि मिट्टी कार्य कटौती पश्चात् शेष राशि में से मजदूरी प्रभार कम किया जाना चाहिए था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

43.	स.आ. संभाग-दो इंदौर मे. राजश्री इंजीनियरिंग प्रा.लि. टिन-23300601540 प्रकरण क्र. 72/13 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	15,72,34,193 15,48,75,228	1.5एवं 5	23,58,965	0.84 लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वाहन, कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर का विक्रय मूल्य सकल टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यवसायी द्वारा वाहन बिक्री पर सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर जो खातों में विक्रय दर्शाया गया है वह वास्तव में खातों में मूल्यह्रास एवं समायोजन है, विक्रय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि शेड्यूल ऑफ फिक्सड एसेट से इन वस्तुओं का विक्रय प्रमाणित होता है।
44.	सं.उ.वा.क., छिंदवाड़ा मे. सफल फूड्स टिन-23376803827 प्रकरण क्र. 166257/13 (वैट)	2013-14 जनवरी 2015	83,30,520 87,22,490	13	3,91,970	0.51 लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भंडारण ड्रम की विक्रय राशि को सकल टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि यह विक्रय राशि मध्यप्रदेश की विक्रय नहीं है अतः करारोपण हेतु स्वीकार नहीं की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकक्षित खाते में दर्शाया गया है कि व्यवसायी का संपूर्ण व्यवसाय मध्यप्रदेश राज्य में ही है।
45.	वा.क.अ वृत्त-6 भोपाल मे. भोपाल स्टोन क्रसर टिन-23333704311 प्रकरण क्र. 50/13 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	निरंक 2,73,18,637	1.5 13	3,75,000 4,65,715	5,625 60,543 योग 0.66लाख	मशीनरी एवं वाहन विक्रय (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) की राशि सकल टर्न ओवर शामिल नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
46.	वा.क.अ वृत्त-बुरहानपुर मे. जैन फटीलाईजर शाहपुर टिन-23611908493 प्रकरण क्र. 16/11 (वैट)	2010-11 सितम्बर 2013	निरंक 4,35,42,096	5	8,62,186	43,109 शास्ति 1,29,327 योग 1.72लाख	दर के अंतर के रूप में प्राप्त राशि को कर योग्य राशि में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
47.	सं.उ.वा.क. संभाग-दो इंदौर मे. पिरामल इंटरप्राइजेज टिन-23571100893	2012-13 फरवरी 2015	निरंक 10,78,08,927	5	12,44,04,473	0.6 करोड़ ब्याज 1.8 करोड़ योग 2.4 करोड़	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकक्षित खाते में दर्ज टर्नओवर से 12,44,04,473 कम टर्न ओवर निर्धारित	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि सकल विक्रय अंकक्षित खाते अनुसार निर्धारित किया गया है।

	प्रकरण क्र. 72 / 13 (वैट)						किया गया।	उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि हमने अंकेक्षित खाते के अनुसार सकल विक्रय लिया है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तदनुसार कर निर्धारित नहीं किया है।
48.	उ.वा.क. (एल.टी.पी.यू), इंदौर मे. नवीन इंफा सॉल्यूशन टिन-23911004191 प्रकरण क्र. सी.एस.66901 (वैट)	2011-12 जून 2014	निरंक 11,73,31,951	5	54,80,565	योग 2.74 लाख	व्यवसायी को प्राप्त वारंटी दावा की राशि को सकल टर्न ओवर में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अन्य आय को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि सामग्री जो कर योग्य नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि गारंटी दावा कर योग्य है और इसे विक्रय में शामिल करना चाहिए।
49.	स.आ. संभाग-दो इंदौर मे. समीर इंडस्ट्री टिन-23211100994 प्रकरण क्र. 27 / 12 (वैट)	2011-12 जून 2014	2,17,69,786 2,12,59,786	13 0	5,10,000	66,300 शास्ति 1,98,900 योग 2.65लाख	प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय राशि को कर योग्य विक्रय (स्थाई संपत्ति विवरण पत्रक अनुसार) में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
50.	वा.क.अ वृत्त-बुरहानपुर मे. चक्रधर कंस्ट्रक्शन टिन-23881909557 प्रकरण क्र. 18 / 11 (वैट) सी.एस. 000000001223 प्रकरण क्र. 18 / 11 प्रवेश कर सी.एस. 000000001224	2010-11 सितम्बर 2013	1,14,08,016 97,51,143	5 एवं 13 0	11,33,049	60,867 शास्ति 1,82,601 योग 2.43लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अंकेक्षित खाते अनुसार लाभ का प्रतिशत जोड़े बिना सकल टर्नओवर की गणना की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि वेतन एवं भत्ते सकल विक्रय में शामिल रहते हैं इस कारण 10 प्रतिशत सकल लाभ सही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते अनुसार सकल लाभ 22.13 प्रतिशत है।
51.	स.अ.वा.क. संभाग-1 ग्वालियर मे. पुरी एजेंसी टिन-23915404499 प्रकरण क्र. 105 / 13 (वैट)	2012-13 फरवरी 2015	7,18,07,816 6,93,69,767		24,38,049	2.62 लाख	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रय वापसी की त्रुटिपूर्ण अधिक छूट दी गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

52.	वा.क.अ वृत्त-खण्डवा मे. राजकुमार गुप्ता टिन-230720055693 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000128400 (वैट)	2011-12 जून 2014	59,90,272 27,86,303	5 एवं 13	32,03,969	2,02,060 शास्ति 6,06,180 योग 8.08लाख	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल टर्न ओवर निर्धारित करते समय कम प्रारंभिक शेष शामिल किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
53.	स.अ.वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. पारिख पावर्स एवं पम्पस लि., इंदौर टिन-23090900949 प्रकरण क्र. 60/12 (वैट)	2011-12 अप्रैल 2014	5,55,28,930 5,53,91,580	13	1,37,350	17,855 शास्ति 53,565 योग 0.71लाख	यह पाया गया क्रय वापसी पर आगत कर छूट कम नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
54.	स.अ.वा.क. संभाग-एक सागर मे. जैनम ऑटोलिंक सागर टिन-23897505045 प्रकरण क्र. 103/12 (वैट)	2011-12 जुलाई 2014	15,78,10,420 15,70,42,077	13	7,68,343	99,885 शास्ति 2,99,665 योग 3.99लाख	यह पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत मुफ्त बदले गये पार्ट्स की राशि को कर निर्धारण आदेश में कम किया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
55.	उ.वा.क. खण्डवा मे. टैक्समो पाईपस् एण्ड प्रोडक्ट लि. टिन-23151910492 प्रकरण क्र. 61/12 (वैट)	2011-12 जून 2014	1,07,20,43,30 9 91,75,59,275	5	15,44,84,034	77,24,202 शास्ति 2,31,72,606 योग 308.97लाख	यह पाया गया कि अंकेक्षित खातो में वास्तव में दर्ज विक्रय से कम का कर निर्धारण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
56.	वा.क.अ वृत्त-4 ग्वालियर मे. न्यू हिमालया रेफ्रीजरेशन टिन-23735402270 प्रकरण क्र. 24/11 (वैट)	2010-11 जुलाई 2013	2,02,45,203 1,44,72,659	13	57,72,544	7,50,430 शास्ति 22,51,290 योग 30.01लाख	बैट्री, इंवरटर, गैस लाइटर जैसी वस्तुओं पर 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करारोपण किया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
योग					5,162.96 लाख	कर 3.12 करोड़ शास्ति 5.22 करोड़ ब्याज 1.90 करोड़ योग 10.24 करोड़		

परिशिष्ट-XIV
(कंडिका 3.8 के संदर्भ में)
प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण बिना घोषणा पत्रों के छूट

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	निर्धारण अवधि/ निर्धारण का माह	सामग्री/कर योग्य टर्न ओवर	अंतर कर की दर (%)	कर/शास्ति /ब्याज के कम आरोपण/ अनारोपण की राशि	लेखापरीक्षा का प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा अभिमत
1	वा.क.अ. वृत्त-2 सतना मे. पियूष एण्ड कम्पनी टिन नं. 2349001455 प्रकरण क्र. 470/13	2012-13 जनवरी 15	मशीनरी/ 48,50,000	1	48,500	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर निरूपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
2	वा.क.अ. वृत्त -2 जबलपुर मे. एफ.एल. स्मिथ प्रा. लि. टिन नं. 23316106624 प्रकरण क्र. 24/13	2012-13 फरवरी 15	आयरन एवं स्टील 40,61,386	1	40,614 शास्ति 1,21,842 योग 1,62,456	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर निरूपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, आयरन एवं स्टील (प्रोफाईल शीट) पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का आरोपण किया गया है। निर्धारित प्राधिकारी का उत्तर तथ्यों जैसे क्रय सूची एवं गणना पत्रक जिसमें की निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर निरूपित किया है, से मेल नहीं खाता है।
3	वा.क.अ. नरसिंहपुर मे. पाना भंडार टिन 23936402715 प्रकरण क्र. 54/13	2012-13 नवम्बर 14	टी.एम.टी. बार /34,90,040	3	1,04,701	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
4	उपा. वा.क. संभाग उज्जैन मे. बैंक नोट प्रेस टिन 23652305395 प्रकरण क्र. 17/12 प्रवेश कर एवं 22/13 प्रवेश कर	2011-12 2012-13 जुलाई 14 जनवरी 15	मशीनरी 74,77,373 एचडीपीई डब्ल्यू सैक 12,77,622 योग 94,60,835	1 4	74,774 51,104 योग 1,25,878	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मशीनरी पर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। जबकि प्रविष्टि क्र. II/IV/1 के अनुसार प्रवेश कर 2 प्रतिशत है तथा एचडीआई पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया गया	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

						जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/I/12 के अनुसार प्रवेश कर 5 प्रतिशत है।	
5	वा.क.अ., वृत्त 2 जबलपुर मे. खन्ना प्रापर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिं. टिन नं. 23379051707 प्रकरण संख्या 32/13	2012-13 फरवरी 2015	टाईल्स एवं मशीनरी / 1,13,94,147	2	कर 2,27,883 शास्ति 6,83,694 योग 9,11,532	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टाईल्स एवं मशीनरी के आयातित क्रय को प्रवेश कर मुक्त माना गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
6	वा.क.अ., होशंगाबाद मे. कमल अग्रवाल टिन - 23664200430 प्रकरण क्र. 307/2012	2011-12 7/2014	सड़क माक्रिंग सामग्री / 14,485,987	1	कर 1,44,860 शास्ति 4,34,580 योग 5,79,440	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सड़क माक्रिंग सामग्री 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/I/26 के तहत 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि, सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
7	वा.क.अ.-2 जबलपुर मे. कैलाश देव बिल्ड इंडिया प्रा.लि. टिन-23855807179 प्रकरण क्र. 165701	2012-13 2/2015	स्टील बार एवं एंगल 13,706,554	2 1	कर 2,39,472 शास्ति 7,18,416 योग 957888	स्टील बार एवं एंगल यदि प्रांत बाहर से क्रय किया गया है तो क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
8	सं. उपायुक्त वा.क. टैक्स ऑडिट विंग-2 इन्दौर मे. सिद्धार्थ फायबर्स टिन - 23342205025 प्रकरण क्र. 87/14	2013-14 3/2015	प्लांट एवं मशीनरी 22,202,633	2 2	कर 4,44,053	प्लांट एवं मशीनरी के क्रय को सकनटर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

9	वा.क.अ.—वृत्त 3 इन्दौर मे. इन्दौर ट्रेजर्स टिन नं. 23860905812 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000066847 प्रवेश कर	2011-12 अप्रैल 14	टी.एम.टी. बार 23203425-	3	696103 शास्ति 2088309 योग 2784412	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टी.एम.टी. बार पर 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/I/1 (बी) के अनुसार प्रवेश कर की दर 5 प्रतिशत है। फ्लार्ड ऐश पर 2 प्रतिशत से करारोपण किया गया है जबकि यह धारा 4 (ए) के तहत अधिसूचना अनुसार 5 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि अधिसूचना क्र. ए-3-11-2011 वी (22) दिनांक 01.04.2011 अनुसार टी.एम.टी. बार पर प्रवेश कर की दर घटाकर 2 प्रतिशत की गई है एवं फ्लार्ड ऐश पर अधिसूचना अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार केवल म. प्र. के अंदर से क्रय टीएमटी पर प्रवेशकर 2 प्रतिशत देय है एवं केवल निर्माता के लिए अधिसूचना अनुसार फ्लार्ड ऐश पर कर की दर घटा कर 1 प्रतिशत की गई है।
			फ्लार्ड ऐश / 717576-	4	28703 शास्ति 86109 योग 114812		
10	वा.क.अ.—वृत्त 9 इन्दौर मे. आर. वी. इन्फ्रास्ट्रक्चर टिन - 23530904199 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000078247 प्रवेश कर	2011-12 जुलाई 14	लाइट डीजल आईल (एल.डी. ओ.) 3323300-	9	299097 शास्ति 897291 योग 1196388	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लाइट डीजल आयल पर 1 प्रतिशत से कर निरूपित किया गया है जबकि धारा 4 (ए) के तहत अधिसूचना अनुसार से प्रवेशकर 10 प्रतिशत से देय है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

11	वा.क.अ.-वृत्त शहडोल मे. पटेल एजेन्सी टिन नं. 23307204136 प्रकरण क्र. सी.एस. 154176 / प्रवेश कर	2011-12 जुलाई 14	पावर ट्रिलर/ पावर रिपर/ 24013662-	1	240137 शास्ति 720411 योग 960548	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पावर ट्रिलर/पावर रिपर पर ट्रैक्टर मानकर प्रवेशकर का आरोपण किया गया।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर बताया कि वैट एक्ट 2002 की शिड्यूल-1 प्रविष्टि 1 बी (14) अनुसार कर मुक्त मानकर निर्धारण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि म. प्र. वैट एक्ट 2002 की प्रविष्टि 1 (1 ए, 1 बी) अनुसार कृषि उपकरण (रीपर) जो मानव द्वारा चलित या जानवरो द्वारा खींचे जाने वाले होते है के संदर्भ में है।लेकिन व्यापारी द्वारा डीजल /बिजली से चलने वाले पावर रिपर/ट्रिलर क्रय किये गये है जो कि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार प्रवेश कर आरोपणीय है।
12	वा.क.अ.-वृत्त-4 जबलपुर मे. उन्नति इंटरप्राइसेस टिन नं. - 23806105239 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000140496 प्रवेश कर	2011-12 जून 14	सबमर्सिबल पम्प 29665978-	1	296660 शास्ति 889980 योग 1186640	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयात सबमर्सिबल पम्प को क्रय प्रवेश कर मुक्त माना है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सभी प्रकार के सबमर्सिबल पम्प एवं मोनो ब्लाक पम्पिंग सेट के अंतर्गत आते है, फिर भी प्रवेश कर आरोपण के सम्बन्ध में सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
13	वा.क.अ.-वृत्त-7 इन्दौर मे. एशियन इंटरप्राइसेस टिन नं. 23130701204 प्र.सं. सी.एस. 00000064954	2011-12 जून 14	सबमर्सिबल पम्प 23566155-	1	235661 शास्ति 706983 योग 942644	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सबमर्सिबल पम्प के आयात क्रय को प्रवेश कर मुक्त माना है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
14	वा.क.अ.-वृत्त-7 इन्दौर मे. पी.एस.जी. इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट, इन्दौर टिन नं0 23420702645 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000145638 प्रवेश कर	2011-12 जून 14	सबमर्सिबल पम्प 26192351-	1	261924 शास्ति 785772 योग 1047696	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सबमर्सिबल पम्प के आयात क्रय को प्रवेश कर मुक्त माना है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

15	सहा.आ.वा.क.-संभाग-2 सागर मे. ओम कन्सट्रक्शन कम्पनी लि. टीकमगढ़ टिन नं. 232227801797 प्रकरण क्र. 345/13 प्रवेश कर	2012-13 मई 14	डी.आई. पाईप 6157332 सीमेन्ट 1035142	1	71925 शास्ति 215775 योग 287700	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डी.आई. पाईप एवं सीमेंट पर 1 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया है जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/4 एवं II/III/1 द्वारा 2 प्रतिशत से कर देय है।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि कर निर्धारण आदेश में स्पष्ट दर्शाया है कि डी.आई. पाईप एवं सीमेंट पर 2 प्रतिशत कर लगाया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी.आई.पाईप एवं सीमेन्ट पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया है।
16	वा.क.अ.-वृत्त-6 भोपाल मे. अलंकार ज्वैलर्स टिन नं. 23424104047 प्रकरण क्र. 97/11 प्रवेश कर	2010-11 सितम्बर 13	प्रीसियस स्टोन/ 25582595	1	255825 शास्ति 767475 योग 1023300	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित रत्न पत्थर को कर मुक्त माना गया है। जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 के अनुसार यह 1 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि रत्न पत्थर सोने और चांदी के नये गहनों में जड़ा हुआ होता है इसलिये प्रविष्टि क्रमांक 4 अनुसूची 1 के तहत कर मुक्त है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रत्न पत्थर अधिनियम की प्रविष्टि क्र. II/III/1 के अनुसार प्रवेश कर योग्य है।
17	सहा.आ.वा.क.-संभाग-2 इन्दौर मे. नवभारत फर्टिलायजर टिन-23730104324 प्रकरण क्र. सी एस 0000000213620 प्रवेश कर	2012-13 सितम्बर- 14	प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स/ 4377465 माइक्रो न्यूट्रल 22784483	1	271619 शास्ति 814857 योग 1086476	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित क्रय पौधा ग्रोथ प्रमोटर एवं माइक्रो न्यूट्रिसन्स को कर मुक्त माना गया, जबकि प्रविष्टि क्र. II/III/1 अनुसार 1 प्रतिशत कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
18	वा.क.अ.-वृत्त-6 भोपाल मे. शिवम टेडर्स टिन नं. 23033702924 प्रकरण क्र. 19/13 प्रवेश कर	2012-13 (स्व कर निर्धारण प्रकरण)	सीमेन्ट/ 17414388	2	86255 शास्ति 258765 योग 345020	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर ₹ 262032 लगाया गया जबकि कर योग्य राशि पर 2 प्रतिशत से प्रवेश कर देय है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
19	वा.क.अ.-वृत्त-8 इन्दौर मे. पाटीदार ट्रेडिंग कार्पोरेशन टिन नं. 23940800911 प्रकरण क्र. सी एस 00000087198 प्रवेश कर	2011-12 जुलाई 14	सबमर्सिबल पम्प 18166058-	1	181660	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित सबमर्सिबल पम्प को कर मुक्त माना गया है जबकि प्रविष्टि क्रमांक II/III/1 अनुसार एक प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

20	उपायुक्त वा.क., सागर मे. जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लि. बीना टिन नं. 23977404509 केस नं. 34 / 13 / प्रवेश कर	2012-13 फरवरी 15	कोल 169036951 एलडीओ 199216561 एलडीओ 285007126 योग 653260638	2 10 9	48953036	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोयला एवं एल.डी.ओ. के आयातित क्रय को कर मुक्त माना गया है जबकि धारा 4 (ए) की अधिसूचना के तहत अनुसार क्रमशः 2 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत प्रवेश कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
21	वा.क.अ. बालाघाट मे. शुभम राईस उद्योग टिन - 23316506264 प्रकरण क्र. सी एस 000000225811	2012-13 मार्च-2015	प्लांट एवं मशीनरी 10610608	2	212213	प्लांट एवं मशीनरी के क्रय को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
22	वा.क.अ. - बालाघाट मे. चित्तोज सिंह चौहान टिन-23876503240 प्रकरण क्र. 33/12	2011-12 जुलाई-2014	एक्सकेवेटर / 83 94997	1	83950	एक्सकेवेटर क्रय राशि को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
23	वा.क.अ.-बालाघाट मे. अनीस इंटरप्राइसेस टिन-23340504305	2011-12 मई - 2014	पी.पी फ्रेबिक - 3834489	4	153379	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पी.पी. फ्रेबिक पर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया जबकि उपभोग/उपयोग होने पर बढ़ी हुई दर से प्रवेश कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
24	वा.क.अ. - बालाघाट मे. राधेश्याम मिनरल्स टिन - 23836506948 प्रकरण क्र. 202/12	2011-12 जुलाई 14	संविदा कार्य के लिए सामग्री / 5926570	1	59266	संविदा कार्य हेतु क्रय सामग्री को सकल टर्नओवर में सम्मिलित नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
25	वा.क.अ.-अनूपपुर मे. श्री राम कन्सट्रक्शन कम्पनी टिन-23077203244 प्रकरण क्र. 40/12	2011-12 जुलाई 14	संविदा कार्य के लिए सामग्री / मशीन 32865249 लुब्रीकेंट, टायर/ 714271	1 2	328652 शास्ति 14285 योग 342937	सामग्री, मशीनरी, लुब्रीकेंट, टायर आदि की क्रय सकल टर्नओवर में शामिल नहीं की गई।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
26	उ.वा.क. सं.-2 भोपाल मे. महाप्रबंधक सिक्यूरिटी	2012-13 दिसम्बर 2014	मशीनरी, फर्नीचर	1	90056 शास्ति 246116	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मशीनरी एवं फर्नीचर पर 1	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की

	टिन-23134202419 प्रकरण क्र. 151/13		9005558 फरनेस आयल 2461164	10	योग 336172	प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि उक्त सामग्री 2 प्रतिशत से कर योग्य है। फर्नेस ऑयल क्रय की राशि कम निर्धारित करते हुए ₹ 227984821 निर्धारित की गई और उसी पर प्रवेश कर लगाया गया जबकि क्रय सूची से प्रमाणित है कि क्रय राशि ₹ 230445985 है।	जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
27	सं.उ. वा.क. सं.-2 भोपाल मे. दौलतराम इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा.लि. टिन- 23124104697 प्रकरण क्र.158/13	2012-13 फरवरी 2015	मशीनरी, टेस्टिंग इक्यूपमेंट 3902849 एल्यूमिनियम कास्टिंग कापर ट्यूब, पाली कार्बोनेट शीट, वायर मेस 36887874 ट्रांसफार्मर 1111689 निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर में भाड़े की राशि शामिल नहीं की गई। 5031630	1 1 4 1	39029 368884 44465 50316 शास्ति 13,57,125 योग 18,59,819	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मशीनरी एवं फर्नीचर पर 1 प्रतिशत कर करारोपण किया गया और आयरन एवं स्टील को एल्यूमिनियम मानकर गलत छूट दी, ट्रांसफार्मर पर 4 प्रतिशत से प्रवेश कर लगाया और सकल विक्रय में भाड़े की राशि शामिल नहीं की।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
28	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. सांवरिया एगो आईल्स लि. टिन-23354104619 प्रकरण क्र. 22 / 12	2011-12 जुलाई 2014	कोल 11046959	1	1,10,470	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोयले पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर अधिरोपित किया गया जबकि कोयले पर 2 प्रतिशत से कर देय है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

29	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. सांवरिया एग्री आईल्स लि. टिन-23354104619 प्रकरण क्र. 22/12	2012-13 फरवरी -2015	मशीनरी, कोल 12330295 आयरन एण्ड स्टील 1431076 पी.ई.बी. 1460265 मशीनरी पार्ट्स 1961186	1 2 2 1	123303 28622 29205 19612 शास्ति 2,32,317 योग 4,33,059	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोयले पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर अधिरोपित किया जबकि कोयले पर 2 प्रतिशत से कर देय है। व्यवसायी द्वारा आयरन एवं स्टील पी.ई.बी. की क्रय को छिपाने की कोशिश की गई और क्रय सूची में उपभोग्य सामग्री का नाम नहीं दर्शाया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
30	उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. सत्य साई एग्री आईल्स लि. टिन-23874406585 प्रकरण क्र. 128/13	2012-13 फरवरी 2015	प्लांट एवं मशीनरी, कम्प्यूटर 135769206	1	13,57,692	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि 2 प्रतिशत से करयोग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
31	वा.क.अ. - बैङ्क मे. नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लि. टिन-23377302116 प्रकरण क्र.133/12	2011-12 जून-2014	एम एस पाईप 55486539	1	5,54,865	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
32	वा.क.अ. - बैङ्क मे. आनंद ट्रेडर्स टिन-23167301504 प्रकरण क्र. 119/12	2011-12 जून-2014	आयरन एंड ग्लास स्क्रैप 9346125 टायर एवं ट्यूब 592250	1 2	93461 11845 योग 1,05,306	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लोहा एवं कांच के स्क्रैप पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर लगाया जबकि 2 प्रतिशत से कर योग्य है। टायर की क्रय राशि को टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
33	वा.क.अ. - बैङ्क मे. प्रगति एवं एसोसिएट्स टिन- 23979027882 प्रकरण क्र. 4/12	2011-12 मार्च-2014	दीवाल/फ्लोर टाईल्स 4395000	1	43,950	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि 2 प्रतिशत से करयोग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
34	सहा. आ. वा.क. संभाग-2 इंदौर (श्रीमती राखी कसेरा)	2011-12 जून-2014	डीजल 1082740	26	2,81,512	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बायलर हेतु क्रय डीजल पर 1 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी द्वारा दिवयोल 505 क्रय किया है जो डीजल से

	मे. वोरा वेरस इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड टिन- 23841100502 प्रकरण क्र. 40/12					जबकि अधिनियम की धारा 4 ए अनुसार 27 प्रतिशत से कर योग्य है।	भिन्न है और धारा 4 ए में नहीं आता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते एवं व्यवसायी द्वारा अन्य विवरण से प्रमाणित है कि क्रय सामग्री डीजल है और धारा 4 ए के अंतर्गत अधिसूचना क्र. 14 दिनांक 14.07.2007 जो 27 प्रतिशत से कर योग्य है।
35	उपायुक्त वा.क. संभाग-1 भोपाल मे. एनिक इंडस्ट्रीज टिन- 23464105286 प्रकरण क्र. 90/12	2011-12 जुलाई-2014	स्कीमड मिल्क पावडर 88135211	1	881352	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्कीमड मिल्क पावडर पर 1 प्रतिशत से प्रवेशकर आरोपित किया जबकि प्रविष्टि क्र. II/II/31 अनुसार यह 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि, उक्त प्रविष्टि फूड एवं फूड सप्लीमेंट से सम्बन्धित है और एस.एम.पी. का प्रयोग डीलर द्वारा अन्य सामग्री के उत्पादन में किया जाता है। यह भी दर्शाता है कि एस.एम.पी. डीलर के रजिस्ट्रेशन में कच्चा सामग्री के रूप में दर्ज है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में स्वयं दर्शाया है कि डीलर के रजिस्ट्रेशन में एस.एम.पी. कच्चा सामग्री दर्शित नहीं है। इसलिए अधिनियम की प्रविष्टि क्र. II/II/31 अनुसार 2 प्रतिशत से कर योग्य है।
36	वा.क.अ.-दमोह मे. दिलीप राय कान्फ्रेक्टर टिन - 23857603328 प्रकरण क्र.274/13	2012-13 जनवरी 2015	सीमेन्ट, लकड़ी, फ्रेबीकेन्ट, लोहा, लाल पत्थर, सेल्फ लोडिंग, क्रांकीट मिक्सर (एजेक्स फियोरी) 7955418 गिट्टी, ईट,पाईप, रायल्टी, जे.सी. बी. इत्यादि 7952128	2 1	1,59,108 79524 शास्ति 238632 (-) <u>1,64,828</u> (=) 73,804	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 16468861 पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया जबकि कुछ सामग्री 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

37	उपायुक्त वा.क. संभाग-2 इन्दौर मे. तुर्खिया मेटल प्रा.लि. टिन-23110501104 प्रकरण क्र. 3/14	2012-13 फरवरी-2015	आयरन एवं स्टील 4266381	2	85388 शास्ति 255984 योग 341312	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर विक्रय सामग्री पर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय छूट त्रुटिपूर्ण दी गई।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि क्रय मूल्य एवं सामग्री "एफ'फार्म पर का स्टाक स्थानांतरण का मूल्य समान है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बेची गई सामग्री का घोषणापत्र नोटिफिकेशन के अंतर्गत जारी किया गया है जबकि आपत्ति एफ फॉर्म से संबंधित सामग्री स्थानांतरण पर नहीं है।
38	सं. उपायुक्त वा.क. छिंदवाड़ा मे. ई.एम.सी. लिमिटेड टिन--23116603277 प्रकरण क्र. 191905	2012-13 फरवरी-2015	सेप्टी आयटम, टेम्पलेटस 19323258	1	193233	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	कोई उत्तर नहीं दिया गया।
39	सं. उपायुक्त वा.क. . छिंदवाड़ा मे. सफल फूडस टिन--23376803827 प्रकरण क्र. 166257	2012-13 जनवरी-2015	मशीनरी, फ़ैक्ट्री बिल्डिंग एवं अन्य सम्पत्तियों की मरम्मत एवं अनुरक्षण 4561318	2	91226	निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय को सकल टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि क्रय महाराष्ट्र राज्य की है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षित खाते पूर्ण मध्यप्रदेश के व्यापार को दर्शाते हैं और सामग्री का निर्माण तथा क्रय म. प्र. से सत्यापित होता है।
40	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 भोपाल मे. एच.ई.जी. लि. टिन-23214100234 प्रकरण क्र. 52/13	2012-13 फरवरी- 2015	टूल्स 10836321	1	108363	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
41	सं. आयुक्त वा.क. संभाग-3 इंदौर मे. दर्शन ट्रेडर्स, इंदौर टिन-235170801066 112/11, 12, प्रवेश कर	2011-12 06/2014	स्कीमड मिल्क पावडर 7793626	1	77936 शास्ति 233808 योग 311744	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
42	वा.क.अ. - बैतूल मे. राजा स्टोन-हाउस टिन-23654702459	2010-11 06/2014	सेरेमिक टाईल्स, वेट्रीफाइड टाईल्स, फ्लोर	1,2	68920 शास्ति 227826 योग 296746	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टाईल्स की क्रय पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि यह	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

	323/2012, प्रवेश कर		टाईल्स 6891995			प्रविष्टि क्र. II/II/15 अनुसार 2 प्रतिशत से कर योग्य है।	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
43	सहा. आयुक्त वा.क. संभाग-3 इंदौर मे. पंचशील आर्गेनिक, इंदौर टिन- 23870700409 प्रकरण क्र. सी.एस. 00000000279186 प्रवेश कर	2012-13 12/2014	स्टील एवं प्रयोगशाला जांच उपकरण/ 5501561	1	55015 शास्ति 165045 योग 220060	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लोहा, एवं प्रयोगशाला जांच उपकरण पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
44	वा.क.अ. - मुरैना मे. शिवानी एजेन्सी श्यापुर टिन-23975605159 प्रकरण क्र. 954/2011 प्रवेश कर	2010-11 09/2013	माचिस/ 5958149	1	59581 शास्ति 178744 योग 238325	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माचिस के आयातित क्रय को कर मुक्त माना गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
45	वा.क.अ. - मुरैना मे. रोशन गैस सर्विस मुरैना टिन-23085501228 प्रकरण क्र. सी. एस. 126694 प्रवेश कर	2011-12 06/2014	एल.पी.जी. (एच)/एल.पी. जी. (सी)/1799222 (1709260+1105 89)	6.47 एवं 1	110589 899 योग 117495	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एल. पी.जी. भाड़े की राशि को प्रवेश कर की गणना में स्वीकार नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
46	सहा. आयुक्त वा.क.- रतलाम मे. राजेन्द्र सेल्स एजेन्सी टिन-23953503859 प्रकरण क्र. सी.एस. 152229 प्रवेश कर	2012-13 11/2014	सबमर्सिबल पम्प एवं मोनो ब्लाक /89618147	1	896181 शास्ति 2688543 योग 3584724	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पम्प के क्रय मूल्य पर करारोपण नहीं किया गया।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि डीलर द्वारा कम्पलीट पम्पसेट का क्रय किया है जो अधिनियम की प्रविष्टि 1/26 अनुसार कर मुक्त है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सबमर्सिबल पम्प क्रय किया गया है जो कि पम्पिंग सेट से भिन्न है सी. सी.टी. मध्यप्रदेश के आदेश क्र. (2005) 7 एस.टी.जे. 217 मे. परफेक्ट पम्प प्रा.लि. उज्जैन में दिये गये निर्णयनुसार यह कर योग्य है।
47	वा.क.अ -4 ग्वालियर मे. रविकान्त बंसल ,	2011-12 07/2014	लोहा एवं इस्पात/	3	58033 शास्ति 174099	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित स्टील बार क्रय पर 2	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की

	ग्वालियर प्रकरण क्र. 23145402061 सी.एस. 0000000175868 प्रवेश कर		1934440		योग 232132	प्रतिशत से करारोपण किया है।	जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
48	वा.क.अ - वृत्त-14 इंदौर मे. जय स्टील इन्दौर टिन- 2323881400598 प्रकरण क्र. सी.एस. 0000000069442 प्रवेश कर	2011-12 05/2014	एम.एस. बार/32429435	3	972883 शास्ति 2918649 योग 3891532	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 के स्थान पर 2 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
49	सहा.आ.वा.क. छिंदवाड़ा मे. कृष्णापिंग एलायस प्रा. लि. छिंदवाड़ा टिन-23456803007	2011-12 जुलाई-14	विस्फोटक/466 0542	1	46605 शास्ति 139815 योग 186420	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 के स्थान पर 1 प्रतिशत से करारोपण किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
50	उपा.वा.क. संभाग-उज्जैन मे. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड टिन- 23762701822 प्रकरण क्र. 34/2013 प्रवेश कर	2012-13 दिसम्बर-2014	चूना पत्थर/431225 47	9	3881029	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षित खाते में दर्ज क्रय से अधिक चूना पत्थर के क्रय की छूट प्रदान की गई।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
51	सहा. आयुक्त वा.क.-1 सागर मे. एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.लि. टिन- 23659066908 प्रकरण क्र. 87/2014	2013-14 अप्रैल-15	प्लांट एवं मशीनरी, कम्प्यूटर्स, आफिस इक्यूपमेंट, फर्नीचर एवं फिक्चर्स/ 92760174 3359648 244478 974961	2 ,1 2, 2	1855203 33596 4889 शास्ति 19499 योग 1913187	सकल टर्नओवर में प्लांट एवं मशीनरी तथा कम्प्यूटर क्रय राशि को शामिल नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
52	वा.क.अ. बालाघाट मे. चैतन्य प्रसाद टिन- 23826501279	2012-13 मार्च-2015	प्लांट एवं मशीनरी/ 6640241	2	130831	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कुल प्लांट एवं मशीनरी की क्रय राशि को शामिल नहीं किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

	प्रकरण क्र. सी.एस. 00000010752						लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
53	वा.क.अ., वृत्त-8 इन्दौर मे. पाटीदार इंटरप्राइसेस टिन- 2343950440 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000319952	2012-13 फरवरी-2015	सबमर्सिबल पम्प/ 10002423	1	100024 शास्ति 300072 योग 400096	सबमर्सिबल पम्प पर प्रवेश कर का करारोपण नहीं किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
54	सहा. आयुक्त वा.क. संभाग-2 सागर मे. इस्टर्न रिफेक्ट्रीज लि. टिन- 23107800699 प्रकरण क्र. 40 / 12	2011-12 मई-2014	फरनेस आईल/ 24620534	10	2462053	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित फरनेस आयल क्रय पर करारोपण नहीं किया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
55	वा.क.अ., वृत्त-9 इन्दौर मे. रेनफोर्सड अर्थ इंडिया प्रा.लि. टिन- 23570904856 प्रकरण क्र 456 / 13	2012-13 नवम्बर-2014	प्रवेश कर हेतु कम कर योग्य राशि का निर्धारण / 10014050	1	1,00,141 शास्ति 3,00,423 योग 4,00,564	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य ₹ 46,47,3481/- निर्धारण किया गया जबकि फार्म 49 में क्रय मूल्य ₹ 5,64,87,531/- प्रमाणित होती है।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि पुरानी मशीन की फार्म 49 पर शिपिंग पर प्रवेश कर देय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपयोग एवं उपभोग हेतु प्रवेश सामग्री पर प्रवेश कर देय है।
56	सहा. आ. वा.क. संभाग-1, ग्वालियर मे. पुरी एजेन्सीस टिन-23915404499 प्रकरण क्र. सी.एस. 000000188476	2012-13 फरवरी-2015	मोटर पार्टस/ 25761510	2 1	2,57,615 शास्ति 7,72,845 योग 10,30,460	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर आरोपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
57	सं. उपायुक्त वा.क. संभाग-2 इंदौर मे. एस.के.एम. स्टील लिमिटेड टिन-23120903503 प्रकरण क्र- 06 / 13	2012-13 सितम्बर-2014	प्लांट एवं मशीनरी/ 6165324	2 1	61654	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत से प्रवेश कर आरोपित किया गया।	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।
58	वा.क.अ. दमोह मे. जखोटिया प्लास्टिक प्रा.लि. टिन-23817603932	2011-12 जुलाई 2014	प्रवेश कर हेतु करारोपण एस ओ एस टर्नओवर कम	1	345183	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य ₹ 7,47,55,008/- पर प्रवेश कर निर्धारित किया जबकि फार्म 49 से क्रय मूल्य	निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही

	प्रकरण क्र. 219६12		लेना 34518329			₹ 10,92,73,337 /- प्रमाणित होती है।	अपेक्षित है।
59	सहा. आयुक्त वा.क. संभाग-2 इन्दौर मे. स्टेण्डर्ड कन्डक्टस प्रा. लि. टिन-23530502619 प्रकरण क्र. 000000012391 / 13 प्रवेश कर	2011-12 जून-2014	लोहा एवं इस्पात / 163102734	2	2319339	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत रूप से कर मुक्त स्कीम 2004 के तहत कर मुक्त इकाई को विक्रय किये जाने पर क्रय मूल्य की राशि पर प्रवेश कर की छूट दी गई। यद्यपि व्यवसायी द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि व्यवसायी द्वारा सामग्री का विक्रय कर मुक्त इकाई को किया जिसके कर मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शेडयूल-2 की वस्तु क्रय कर, कर मुक्त इकाई को विक्रय पर प्रवेश कर छूट है यदि अधिसूचना द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र से समर्थित है।
		योग	10,277.40 लाख	कर शास्ति योग	7.26 करोड़ 2.01 करोड़ 9.27 करोड़		

परिशिष्ट-XV
(कंडिका 3.9 के संदर्भ में)
शास्ति का अनारोपण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	धारा 21 के तहत निर्धारण का माह	अधिरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति	शास्ति का आरोपणीय (कर की तीन गुणा) अंतर राशि	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1.	वा.क.अ.-बैढ़न मे.गजराज कैमिकल्स टिन-23187304985 प्रकरण क्र. 276/12	2011-12 जुलाई 2014	दिसम्बर 2014	कर-21879045 ब्याज-13455613 शास्ति-2000 धारा-18(4)(सी) के तहत शास्ति-10000 धारा-39(5) के तहत	65637135 52169519 {65637135-(13455613+2000+10000)}	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि तथ्यों के अनुसार व्यवसायी का कम कर निर्धारित हुआ था जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि नियम-21 एवं नियम-31(2)(3) के अनुसार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित कर निर्धारण किया गया। वाणिज्यकर अधिकारी बैढ़न द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त नियम एवं उप नियम इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि विक्रेता द्वारा न तो लेखाबही प्रस्तुत की गयी न ही स्वयं उपस्थित हुआ। और उसके द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं उठाई गयी इसलिए विक्रेता पर धारा-21(2) के अनुसार शास्ति लगाना उचित है।
2.	वा.क.अ.- दमोह मे. मोहम्मद इकबाल टिन-23377603398 प्रकरण क्र. 2/12	2011-12 स्व-कर निर्धारण	फरवरी 2015	कर-393287 ब्याज-141583	1179861 1038278 {1179861-141583}	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत शास्ति का आरोपण नहीं किया गया जबकि तथ्यों के अनुसार व्यवसायी द्वारा अंतर्राज्यीय विक्रय फॉर्म सी समर्थित पर कर की छूट का लाभ जाली फॉर्म सी के आधार लिया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है।

3.	वा.क.अ.- धार मे. इंदौर स्टील फर्नीचर टिन-23181603422 प्रकरण क्र. 670/11	2010-11	नवम्बर 2014	कर-172760 ब्याज-23084 शास्ति-1000	518280 494196 { 518280-(23084+1 000) }	इस तथ्य के बावजूद भी कि निर्धारण में चूक विक्रेता के कारण हुई, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा-21 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि बिक्री को नहीं छुपाया गया है बल्कि कम दर पर बिक्री का वर्गीकरण किया गया है। निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विक्रेता के पास प्रमशन सुविधा होने के बावजूद बिक्री बीजकों पर वैट लगाया गया, यह नियम के विरुद्ध है।
4.	स.आ.वा.क. संभाग-2, इंदौर मे. वैष्णव देवी पेपर प्रोडक्ट्स टिन-2336000537 प्रकरण क्र. 02/2012	2009-10 स्व-कर निर्धारण	दिसम्बर 2013	कर-76354 ब्याज-53560 शास्ति-26780	229062 148722 { 229062-(53560+2 6780) }	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा धारा-21 के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी जबकि तथ्यों के अनुसार व्यवसायी द्वारा स्वमूल्यांकन किया गया था व फॉर्म ई 1 एवं फॉर्म सी संव्यवहारों की छूट का लाभ बिना फार्मों की प्रस्तुति के लिया गया था।	निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कहा गया कि विक्रेता का गलत मंशा नहीं था इसलिए विक्रेता पर शास्ति की जगह ब्याज आरोपित किया गया। उत्तर मान्य योग्य नहीं हैं क्योंकि विक्रेता द्वारा स्व-मूल्यांकन किया गया तथा लेन-देन मे. ई-1 व सी फार्म बिना प्रस्तुत किए ई-1 एवं सी फार्म बिक्री का लाभ लिया गया एवं केवल ₹ 1965 कर के रूप में जमा किया गया। प्रकरण को पुनः खोला गया तथा विक्रेता पर अतिरिक्त करारोपण किया गया। चूंकि निर्धारण में चूक विक्रेता की त्रुटि के कारण हुआ अतः विक्रेता पर शास्ति लगाया जाना चाहिए।
योग					5.39 करोड़		

परिशिष्ट—XVI

(कांडिका 3.11 के संदर्भ में)

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत कर का कम आरोपण/अनियमित छूट/ रियायत की स्वीकृति

(अ)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण का माह	रियायती दर योग्य की विक्रय राशि कर योग्य विक्रय	कर योग्य दर निरूपित कर की दर	कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	स.आ.वा.क. संभाग-3, इंदौर मे. विप्रो लि. टिन-238713000 63 प्रकरण क्र. 5/2012	2011-12 जुलाई 2014	94596 771352	13 2	74,443	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के भीतर सी फार्म समर्थित विक्रय पर रियायती दर की छूट दी गयी।	सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही प्रतीक्षित है।
2	उपा.वा.क. संभाग-2, इंदौर मे.मान एल्यूमिनियम लि. टिन-234711013 38 प्रकरण क्र. 56/2014	2012-13 फरवरी 2015	377561462 605551125	5 2	63,76,641	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे भंडार हस्तांतरण जो फॉर्म एफ से समर्थित नहीं थे उन्हें अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर अनुचित रियायत दी गयी।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि यह मानकर करारोपण किया गया कि विक्रय मे. कर सम्मिलित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भंडार हस्तांतरण पर एफ फार्म प्रस्तुत न करने से केन्द्रीय बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि करारोपण सी फार्म समर्थित बिक्री के अनुसार किया गया है।
3	उपा.वा.क. संभाग-2, इंदौर मे.गायत्री प्रोजेक्ट लि. टिन-234221063 32 प्रकरण क्र. 121/13	2012-13 फरवरी 2015	246442125 289822087	13 5	47,71,795	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल विक्रय से अधिक पर रियायती दर मान्य किया गया।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि रियायती दर ई-1, सी फार्म प्रस्तुत करने पर दी गयी है। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर में वृद्धि की गई है क्योंकि क्रय एवं विक्रय में बहुत बड़ा अन्तर है। यह स्पष्ट होता है कि ₹ 4,33,79,962 का विक्रय फॉर्म सी समर्थित नहीं है।
4	उपा.वा.क. (टै.आ.वि.) इन्दौर	2012-13 फरवरी 2015	28510360	2	3,00,000	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि ये टाईप की त्रुटि के कारण है।

मे. यूनाईटेड स्टील कं. टिन-237716049 89 प्रकरण क्र. 15 / 13						₹ 2,70,207 पर दो प्रतिशत से गलत गणना की गयी। सही गणना ₹ 0207 होगी।	
योग				115.23 लाख			

परिशिष्ट—XVI
(ब)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/व्यवसायी	सी-फार्म का नम्बर सी-फार्म की संख्या	निर्धारण अवधि/ निर्धारण का माह	सी फार्म अनुसार घोषित राशि	टिन सर्व अनुसार अन्य पार्टी को जारी सी-फार्म की राशि	आपत्ति जनक सी-फार्म की राशि निर्धारित दर से करारोपण एवं प्रतिशत	निरूपित कर की राशि व शास्ति	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ. मुरैना मे. कैला देवी रोलर फ्लोर मिल मुरैना टिन-23085603757 (केन्द्रीय)	16 पी 115735 1	2011-12 / 6/2014	13250828	..	13250828 का (5-2) 3 प्रतिशत	1590096 (397524+ 1192572)		
2	सहा.आ.वा.क. सं.-2 ग्वालियर मे. मधुसूदन ट्रेडर्स दतिया टिन-23794901329 प्रकरण क्र. 90351 (केन्द्रीय)	एम.एच 11/ए 3329218 1	2011-12 / 6/2014	7213368	.. --	7213368 का (5-2) 3 प्रतिशत	865604 (216401+ 649203)	सत्यापन में यह पाया गया कि सी-फार्म अन्य व्यवसायी को जारी किया गया था।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।
3	उपायुक्त टैक्स आडिट विंग ग्वालियर मेसर्स श्रीनाथजी इडिबल आइल प्रोडक्ट्स मुरैना टिन- 23935503428	ए.एस./ 2010/1371243 1	2012-13 / 1/2015	3943605	1971803	1971802 का (5-2) 3 प्रतिशत	236616 (59154+ 177462)		

4	वा.क.अ. वृत्त-12 इन्दौर मे. उत्तम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क प्रा.लि. इन्दौर टिन- 23811205230 प्र.क्र.सी.एस. 00000000130372	एम.एच.12 /145656 1	2011-12 6/2014	2734602	..	2734602 का (5-2) 3 प्रतिशत	328152 (82038+ 246114)	सी-फार्म हस्तांतरित नहीं एवं इसमें दर्शायी राशि गई विवरणियों तुलना में गलत थी (केन्द्रीय विक्रय कर विवरणी फार्म 5)	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।
5	सहा. आ. वा.क. रतलाम मे. सामग्रीवा आक्सीजन एंड इन्डस्ट्रीयल गैसेस प्रा.लि. टिन- 23493401292 प्र.क्र 149843/13	एम.एच.13 /607405 1	2012-13 12/2014	10056784	2154159	10056784 का (13-2) 11 प्रतिशत	4424984 (1106246+ 3318738)	सत्यापन में यह पाया गया कि सी-फार्म अन्य व्यवसायी को जारी किया गया था।	कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है।
		सी-फार्म की संख्या 5	योग	37199187	4125962	35227384	74.45 लाख (1861363+ 5584089)		
महायोग परिशिष्ट XVI {भाग (अ)+ भाग(ब)}							₹ 1.90 करोड़ (1.15 करोड़+ 0.75 करोड़)		

परिशिष्ट—XVII

(कांडिका 3.12 के संदर्भ में)

कर मुक्त/कर चुका मानकर विक्रय पर करारोपण न किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. स.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायी	अवधि/ निर्धारण माह	लेखापरीक्षा का माह/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने का माह	सामग्री/ कर योग्य राशि	कर की दर (प्रतिशत में)	कर (₹ में)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा का अभिमत
1	वा.क.अ.-1 जबलपुर मे. आमिर सिंह एंड सन्स टिन-23705800035 प्रकरण क्र. 84555/12	2011-12 जून 2014	अगस्त- 2015 सितम्बर -2015	लुब्रीकेंट 18,00,744	13	2,34,097	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर चुका माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
2	वा.क.अ.-बालाघाट मे. अनीस इन्टरप्राइसेस टिन-23346504356 प्र.क.- 129/12	2011-12 मई 2014	सितम्बर 2015 अक्टूबर 2015	जूट 19,93,425	5	99,671	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर मुक्त माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
3	वा.क.अ.-15- इन्दौर मे. नेटविन एग्रो एंड बायोटेक प्रा.लि. टिन-23569000957 प्र.क.-148408/12 148409/12	2011-12 जून 2014	मई 2015 जून 2015	स्प्रिंकलर पाईप, लेटरल 61,35,594 (वैट+केन्द्रीय)	5	3,06,779 शास्ति 9,20,338 योग 12,27,117	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर मुक्त माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
4	वा.क.अ.-बैतूल मे. वैष्णव ट्रेडर्स टिन-23574705219 प्र.क. -1734/11 1876/12 (स्व कर निर्धारण)	2010-11 2011-12 स्व निर्धारित	सितम्बर 2015 नवम्बर 2015	स्प्रिंकलर पाईप, लेटरल 43,39,727	5	2,16,986 शास्ति 6,50,958 योग 8,67,944	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर मुक्त माना गया	कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।

5	वा.क.अ.-बालाघाट मे. श्री महामाया फ्यूल्स टिन-23959025556 प्र.क.- 10300002319044 / 12	2012-13 सितम्बर 2014	सितम्बर 2015 अक्टूबर 2015	पेट्रोल 1,08,29,487 डीजल 1,35,95,213	27 23	29,23,961 31,26,899 योग 60,50,860	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भूलवश सामग्री को कर चुका माना गया	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि विक्रेता द्वारा धारा-54 के अंतर्गत (भूल सुधार) आवेदन दिया गया जिस पर कार्यवाही लंबित है। कार्यवाही जांच उपरांत की जावेगी। अंतिम कार्यवाही लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।
योग				386.94 लाख		कर 69.08 लाख शास्ति 15.71 लाख योग 84.79 लाख		

परिशिष्ट—XVIII

(कांडिका 4.2.12 के पहले बिन्दु के संदर्भ में)

विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत पर अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किए जाने से राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल युनिट	देय युनिट	देय प्रतिशत	अदेय युनिट	अदेय प्रतिशत	देय वि.शु.	भुगतान वि.शु.	शेष वि.शु.
1	गैरीसनइंजीनियर, संख्या-1, मऊ	अप्रैल.11 से जुलाई 15	36855693	26935835	73	9919858	27	27249295	19910115	7339180
2	सम्भागीय अधीक्षक, मऊ	अप्रैल.11 से जुलाई 15	8588208	5075947	60	3512261	40	7113038	4208070	2904968
3	संभागीय अधीक्षक, प.रे., इन्दौर	अप्रैल.11 से जुलाई 15	3533810	883088	25	2650722	75	3014580	753057	2261523
4	सिनीयर डिवीजनल इलेक्टिकल इंजीनियर (पश्चिम म.रे.) जबलपुर	मार्च 14 से जून 15	8500279	850028	10	7650251	90	7136859	713686	6423173
5	सिनीयर डिवीजनल इलेक्टिकल इंजीनियर (जी) म.रे. भोपाल (बीना स्टेशन) कार्यालय तथाक्वार्टर	अप्रैल.12 से दिसम्बर 15	1595846	564190	35	1031656	65	1374019	485888	888131
6	संभागीय इलेक्टिकल इंजीनियर (जी) म.रे., भोपाल (बीना स्टेशन)	अप्रैल.12 से दिसम्बर 15	9927926	4963966	50	4963960	50	8363692	4181849	4181843
7	डिवीजनल इलेक्टिकल इंजीनियर (जी) म.रे., भोपाल (बीना नदी)	अप्रैल.12 से दिसम्बर 15	1634931	817463	50	817468	50	1340856	670430	670426
8	संभागीय अधीक्षक, म.रे. कटनी	अप्रैल.12 से नवम्बर 15	19085432	4771363	25	14314069	75	15736763	3906311	11830452
9	संभागीय अधीक्षक, द.पु. रेलवे, मंडला	अप्रैल.12 से नवम्बर 15	4971249	2982623	60	1988626	40	4265707	2552405	1713302
10	संभागीय अधीक्षक प.रे., फर्स्ट पॉइन्ट, रतलाम	सितम्बर 11 से मार्च 15	23991300	9009271	37.5	14982029	62.5	19569017	7345898	12223119
11	संभागीय अधीक्षक प.रे., स्टेशन उज्जैन	अप्रैल.11 से मार्च 15	4241562	1055422	25	3186140	75	3470682	862911	2607771
12	संभागीय रेलवे प्रबंधक कोटा,	अप्रैल.11 से	1047795	576132	55	471663	45	841962	472922	369040

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल युनिट	देय युनिट	देय प्रतिशत	अदेय युनिट	अदेय प्रतिशत	देय वि.शु.	भुगतान वि.शु.	शेष वि.शु.
	शामगढ़ स्टेशन	फरवरी 15								
13	संभागीय रेलवे प्रबंधक कोटा रतलाम नीमच स्टेशन	अप्रैल.11 से फरवरी 15	1094042	328213	30	765829	70	878340	270279	608061
14	वरिष्ठ डी.ई.ई. रेलवे स्टेशन, हरदा	जनवरी 12 से अक्टूबर 15	2314051	1589803	69	714254	31	1971852	1354594	617258
15	संभागीय अधीक्षक (म.रे.) रेलवे स्टेशन, ग्वालियर	मई 12 से अगस्त 15	8919219	4307871	47 प्रतिशत अप्रैल 15 तक तथा इसके बाद 60 प्रतिशत	4611348	53 प्रतिशत अप्रैल 15 तक तथा इसके बाद 40 प्रतिशत	7545782	3649745	3896037
16	संभागीय विद्युत यंत्रि (म.रे.) बैट्री चार्जर, ग्वालियर	मई 12 से जून 15	6496955	3671476	अगस्त 12 से 62 प्रतिशत	2250072	अगस्त 12 से 38 प्रतिशत	5317702	3009844	2307858
17	संभागीय रेलवे प्रबंधक, म.रे., भोपाल बारातवा	जनवरी 12 से अक्टूबर 15	3643762	731053	20	2915020	80	2969804	595597	2374207
	योग		146442060	69113744		76745226 अर्थात् 7.67 करोड़		118159950 अर्थात् 11.81 करोड़	54943601 अर्थात् 5.49 करोड़	63216349 अर्थात् 6.32 करोड़

परिशिष्ट—XIX

(कंडिका 4.2.12 के दूसरा बिन्दु के संदर्भ में)

विद्युत ऊर्जा के शुल्क योग्य एवं शुल्क अयोग्य खपत पर अलग-अलग मीटर स्थापित नहीं किए जाने से राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र. स.	उपभोक्ता का नाम	अवधि	कुल युनिट	देय युनिट	देय निश्चित युनिट	अदेय युनिट	देय वि.शु.	भुगतान वि.शु.	शेष वि.शु.
1	गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस., मऊ	अप्रैल-11 से मार्च 15	52599348	16573596	345284 यूनिट प्रतिमाह	36025752	39123441	12340303	26783138
2	अधीक्षक, एम.वाई. अस्पताल, इन्दौर	अप्रैल-11 से मार्च 15	7147917	48000	1000 यूनिट प्रतिमाह	7099917	6061758	40645	6021113
3	गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस, वेस्ट, जबलपुर	अप्रैल-11 से जून 15	36038158	6281160	123160 यूनिट प्रतिमाह	29756998	23408635	4076124	19332511
4	गैरीसन इंजीनियर, एम.ई.एस, वेस्ट, जबलपुर	अप्रैल-11 से जून 15	54833144	20803512	407912 यूनिट प्रतिमाह	34029632	36595482	13890067	22705415
5	स्टेशन कमांडेन्ट सी.आर.पी. एफ., नीमच	अप्रैल-11 से फरवरी 15	15667500	391283	8504 यूनिट प्रतिमाह	15011663	12010801	303879	11706922
6	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	अप्रैल-11 से जून 15	10192179	8446602	34227 यूनिट प्रतिमाह	1745577	8723156	1490159	7232997
7	वरिष्ठ सभागीय इंजीनियर रेलवे स्टेशन, हबीवगंज	अप्रैल-11 से फरवरी 14	4543289	708820	20252 यूनिट प्रतिमाह	3834469	3533567	550937	2982630
			181021535 अर्थात् 18.10 करोड़	53252973 अर्थात् 5.33 करोड़		127504008 अर्थात् 12.75 करोड़	129456840 अर्थात् 12.95 करोड़	32692114 अर्थात् 3.27 करोड़	96764726 अर्थात् 9.68 करोड़

परिशिष्ट-XX
(कंडिका 5.4 के संदर्भ में)
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस पर छूट की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

मेसर्स अभिजीत सीमेंट, नागपुर के खनिपट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का विवरण							
क्र.स.	ग्राम का नाम क्षेत्र	प्रभारणीय मुद्रांक शुल्क	प्रभारणीय उपकर	पंजीयन फीस	कुल छूट	ब्याज (कुल 18 प्रतिशत की दर से)	कुल वसूली योग्य
1	बघरेटा 190.326 हेक्टेयर (उप पंजीयक, मुरैना के पत्र क्रमांक 76 दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार)	75,93,750	3,79,688	56,95,343			
2	भाहादपुरा, इटोरा 186.79 हेक्टेयर (उप पंजीयक, मुरैना के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार)	3,03,75,000	15,18,750	2,27,81,280			
3	बघरेटा, महेवा, साईपुरा, भीलपुरा 268.520 हेक्टेयर (उप पंजीयक, मुरैना के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार)	1,51,87,500	7,59,375	1,13,90,655			
योग		5,31,56,250	26,57,813	3,98,67,278			
प्रभारित मुद्रांक शुल्क, उपकर एवं पंजीयन फीस		6,00,000	30,000	4,72,590			
अंतर		5,25,56,250	26,27,813	3,93,94,688	9,45,78,751	8,07,83,209	17,53,61,960
		अर्थात् 5.26 करोड़	अर्थात् 26.28 लाख	अर्थात् 3.94 करोड़	अर्थात् 9.46 करोड़	अर्थात् 8.08 करोड़	अर्थात् 17.54 करोड़

परिशिष्ट-XXI
(कंडिका 5.5.1 के संदर्भ में)
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/आरोपण (खनिपट्टे/उत्खनि पट्टे)

(राशि ₹ में)

खनिपट्टे											
क्र. स.	ईकाई का नाम, लेखापरीक्षा अवधि	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	खनिज का नाम/ दर	प्रतिवर्ष खनिज दोहन की मात्रा	वार्षिक रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस				
							प्रभारणीय	प्रभारित	कम प्रभारित	वसूली योग्य कुल राशि	
1.	जिला खनिज अधिकारी, छतरपुर 04 / 14-03 / 15	भाग्यवन्ती ग्रेनाइट एवं स्टोन प्राइवेट लिमिटेड	1.12.2013 से 30.11.2033 (20 वर्ष के लिए)	ग्रेनाइट / 800 प्रति घ.मी.	3000 घ.मी.	24,00,000	(3 x 24,00,000 = 72,00,000 x 5 / 100) =3,60,000 2,70,000	81,060 60,800	2,78,940 2,09,200	4,88,140	
2.		मेपल माइन्स एण्ड मिनरल्स					(3 x 24,00,000 = 72,00,000 x 5 / 100) =3,60,000 2,70,000	81,060 60,800	2,78,940 2,09,200	4,88,140	
3.	जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा 04 / 14-03 / 15	मेसर्स मुरलीधर मिनरल्स	10.05.2014 से 09.05.2033 (20 वर्ष के लिए)	डोलोमाइट / 63 प्रति टन	1,73,931 घ.मी.	1,09,57,653	(3 x 1,09,57,653 = 3,28,72,959 x 5 / 100) =16,43,648 12,32,736	1,95,500 1,43,655	14,48,148 10,89,081	25,37,229	
योग								23,63,648 17,72,736	3,57,620 2,65,255	20,06,028 15,07,481	35,13,509 अर्थात् 35.13 लाख

उत्खनिपट्टे										
क्र. स.	ईकाइ का नाम, लेखापरीक्षा अवधि	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	खनिज का नाम/ दर	प्रतिवर्ष खनिज दोहन की मात्रा	वार्षिक रॉयल्टी	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस			
							प्रभारणीय	प्रभारित	कम प्रभारित	वसूली योग्य कुलराशि
1.	जिला खनिज अधिकारी, डिंडोरी 04 / 11-03 / 15	श्रीभुवन सिंह राठौर	17.12. 2013 से 16.12. 2023 (10 वर्ष के लिए)	पत्थर क्रेजर / 44 प्रति घ.मी.	18824 घ.मी.	8,28,256	(1.5 x 828256= 1242384 x 5 / 100) =62,119 46,590	19,880 14,957	42,239 31,633	73,872
2.	जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली 04 / 14-03 / 15	मेसर्स जनता कंसट्रक्शन	13.03. 2015 से 12.03. 2025 (10 वर्ष के लिए)	पत्थर क्रेजर / 100 प्रति घ.मी.	6550 घ.मी.	6,55,000	(बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत= 2 / 100 x 3326400) =66528 49896	13100 9830	53428 40066	93,494
3.	जिला खनिज अधिकारी, हरदा	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि (14 उत्खनि पट्टे)	22.09. 2010 से 21.09. 2020 (10 वर्ष के लिए)	रेत / 53 प्रति घ.मी.	5345250 घ. मी.	28,32,98,250	(283298250 x 1.5= 424947375 x5 / 100) =21247369 15935527	00 00	21247369 15935527	3,71,82,896
4.	जिला खनिज अधिकारी, उमरिया	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि (3 उत्खनि पट्टे)	05.06. 2004 से 04.06. 2024 (20 वर्ष के लिए)	रेत / 100 प्रति घ.मी.	289600 घ. मी.	2,89,60,000	(रायल्टी का 2 प्रतिशत 2 / 100 x 28960000) =579200 434400	00 00	579200 434400	10,13,600
योग							2,19,55,216 1,64,66,413	32,980 24,787	2,19,22,236 1,64,41,626	3,83,63,862 अर्थात् 383.64 लाख
कुल योग							24318864 18239149	390600 290042	23928264 17949107	4,18,77,371 अर्थात् 4.19 करोड़

परिशिष्ट-XXII
(कंडिका 5.5.2 के संदर्भ में)
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/आरोपण (व्यापारिक खदानें)

(राशि ₹ में)

व्यापारिक खदानें										
क्र. स.	इकाई का नाम, लेखापरीक्षा अवधि	पट्टेदार का नाम	पट्टा अवधि	खनिज कानाम दर	प्रतिवर्ष खनिज दोहन की मात्रा	वार्षिक राज्यांश	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस			
							प्रभारणीय	प्रभारित	कम प्रभारित	वसूली योग्य कुल राशि
1.	जिला खनिज अधिकारी, हरदा 04/14-03/15	मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि/कुबेरकामना मारबल प्राइवेट लिमिटेड	15.03.13 से 14.03.15	रेत/ 150 प्रति घ.मी.	7,53,000 घ.मी. 8,28,300 घ.मी.	11,29,50,000 / 12,42,45,000 कुल ₹ 23,71,95,000	1,18,59,750 88,94,813	100 00	1,18,59,650 88,94,813	2,07,54,463
2.		मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि/डीजियाना इलेक्ट्रो टेलीकोम लिमिटेड	15.03.13 से 14.03.15	रेत/ 150 प्रति घ.मी.	7,01,000 घ.मी. 7,71,100 घ.मी.	10,51,50 ए000 / 11,56,65,000 कुल ₹ 22,08,15,000	1,10,40,750 82,80,563	100 00	1,10,40,650 82,80,563	1,93,21,213
3.		मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि/मेसर्स शिवा कार्पोरेशन	29.09.13 से 28.09.15	रेत/ 150 प्रति घ.मी.	13,26,000 घ.मी. 14,58,600 घ.मी.	19,89,00,000 / 21,,87,90,000 कुल ₹ 41,76,90,000	2,08,84,500 1,56,63,375	100 00	2,08,84,400 1,56,63,375	3,65,47,775
योग							4,37,85,000 3,28,38,751	300 00	4,37,84,700 3,28,38,751	7,66,23,451 अर्थात् 7.66 करोड़

परिशिष्ट-XXIII
(कंडिका 8.5 के संदर्भ में)
प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम एवं लेखापरीक्षा अवधि	गणना की अवधि	आर.आर.सी. राशि	नहीं वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूली योग्य शेष राशि
1	तहसील सोनकच्छ 04/15 से 6/16	10/14 से 06/16	37757584	1132728	0	1132728
2	तहसील पानसेमल 04/15 से 6/16	07/08 से 09/14	20341341	610240	338564	271676
3	तहसील निवारी 04/15 से 6/16	10/13 से 06/16	31320739	939622	0	939622
4	तहसील पथरिया 04/15 से 6/16	2013-14	8484475	254534	76920	177614
5	तहसील शिवपुरी 04/15 से 6/16	12-13 से 09/13	24409633	732289	0	732289
6	तहसील नीमच 04/15 से 6/16	10/14 से 06/16	38265000	1147950	251286	896664
7	तहसील मन्दसौर 10/11 से 09/14	12/13 से 09/14	14218000	426540	37091	389449
8	तहसील गुना 10/12 से 09/14	12/13 से 09/14	43691832	1310755	0	1310755
9	तहसील शुजालपुर 10/09 से 09/14	10/14 से 04/16	9421270	282633	0	282633
10	तहसील सुवासरा 10/09 से 09/14	2009/10-2013/14	6555000	196650	0	196650
11	तहसील पन्ना 10/09 से 09/14	2010/11-2014/15	5711761	171352	0	171352
12	तहसील गुलाना 10/09 से 09/14	2010/11-2013/14	13172101	395163	0	395163
13	कलेक्टर रायसेन 10/05 से 09/14	2009/10-2013/14	77747810	2332434	0	2332434
14	तहसील भानपुरा	2010/11-2014/15	7887000	236610	0	236610

क्र. सं.	कार्यालय का नाम एवं लेखापरीक्षा अवधि	गणना की अवधि	आर.आर.सी. राशि	नहीं वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूला गया प्रक्रिया व्यय	वसूली योग्य शेष राशि
	04/02 से 03/15					
15	तहसील मोहन बड़ौदिया 10/09 से 09/14	2009/10-2014/15	7837587	235128	0	235128
16	कलेक्टर रतलाम 10/11 से 09/14	2014-15	5572818	167184	0	167184
17	तहसील बैतूल 10/14 से 09/15	2014-15	2034789	61044	0	61044
18	कलेक्टर आगरा सामग्रीवा 08/13 से 09/15	08/13 से 09/15	9786000	293580	0	293580
19	तहसील अशोकनगर 10/14 से 09/15	2014-15	19311648	579349	0	579349
20	तहसील देवास 04/12 से 03/15	2012-14	8515500	255465	0	255465
21	कलेक्टर डिण्डौरी 10/06 से 09/14	2014-15	10204000	306120	0	306120
योग			40.23 करोड़	1.21 करोड़	7.04 लाख	1.14 करोड़

परिशिष्ट-XXIV
(कंडिका 8.6 के संदर्भ में)
व्यपवर्तित लगान एवं प्रीमियम के निर्धारण में कमी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरण संख्या / व्यपवर्तन वर्ष	स्थान का नाम	बाजार मूल्य (बा.मू.)	आरोपणीय व्यपवर्तन लगान / आरोपणीय प्रीमियम	आरोपित व्यपवर्तन लगान / आरोपित प्रीमियम	कम व्यपवर्तित लगान	कम प्रीमियम
1.	तहसील अलीराजपुर	ए-2/206 2013-14	राम सिंह की चौकी	200743 आवासीय	1920 9600	4920 4686	0	4914
2.		ए-2/207 2013-14	पालासाडा	4800000 आवासीय	401 2007	527 188	0	1819
3.		ए-2/15 2013-14	बोरखड	14697000 आवासीय	2939 14697	437 624	2502	14073
4.		ए-2/204 2013-14	कछवा	487918 आवासीय	976 4879	294 105	682	4774
5.		ए-2/202 2013-14	बालपुर	112442 आवासीय	225 1124	110 39	115	1085
6.		ए-2/195 2013-14	लखनकोट	252756 आवासीय	506 2527	158 225	348	2302
7.		ए-2/92 2013-14	बोरखड	650510 आवासीय	1301 6505	196 279	1105	6226
8.		ए-2/95 2013-14	अम्बुआ	487900 आवासीय	976 4879	294 106	682	4773
9.		ए-2/208 2013-14	गरत	195153 आवासीय	390 1951	196 70	194	1881
10.		ए-2/209 2013-14	काथीवाडा	836431 आवासीय	1672 8364	439 157	1233	8207
1.		ए-2/211 2013-14	बोरखड	1170960 आवासीय	2342 11709	353 504	1989	11205
12.		ए-2/212 2013-14	अम्बुआ	325255 आवासीय	651 3252	196 70	455	3182

13.		<u>ए-2 / 213</u> 2013-14	अम्बुआ	487918 आवासीय	<u>976</u> 4879	<u>294</u> 105	682	4774
14.	कलेक्टर छिन्दवाडा	<u>529 / ए-2</u> 2014-15	लेहगाडुआ	39614900 वाणिज्यिक	<u>158459</u> 792298	<u>23645</u> 118224	134814	674074
15.	तहसील डबरा	<u>148 / ए-2</u> 2014-15	बुजुर्ग	3818000 वाणिज्यिक	<u>15272</u> 76360	<u>7912</u> 39560	7360	36800
16.		<u>139 / ए-2</u> 2014-15	टेकनपुर	966966 आवासीय	<u>1934</u> 9670	<u>830</u> 4150	1104	5520
17.		<u>137 / ए-2</u> 2014-15	पथपनिहर	331500 वाणिज्यिक	<u>1326</u> 6630	<u>263</u> 1312	1063	5318
18.		<u>151 / ए-2</u> 2014-15	छपरा	1254600 वाणिज्यिक	<u>5018</u> 25092	<u>3346</u> 16728	1672	8364
19.	कलेक्टर रतलाम	<u>10 / ए-2</u> 2013-14	खाराखेदी	वाणिज्यिक	<u>0</u> 46500	<u>0</u> 23250	0	23250
20.		<u>08 / ए-2</u> 2013-14	चाँदनी चौक	वाणिज्यिक	<u>57243</u> 0	<u>5725</u> 0	51518	0
21.		<u>23 / ए-2</u> 2013-14		वाणिज्यिक	<u>40673</u> 25200	<u>4200</u> 21000	36473	4200
22.		<u>21 / ए-2</u> 2013-14		वाणिज्यिक	<u>17560</u> 72000	<u>13766</u> 68862	3794	3138
23.		<u>14 / ए-2</u> 2013-14		वाणिज्यिक	<u>30279</u> 60300	<u>16221</u> 30150	14058	30150
24.	तहसील पिपरिया	<u>36 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	41808000 आवासीय	<u>83618</u> 418080	<u>81396</u> 406980	2222	11100
25.		<u>36 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	30252000 आवासीय	<u>60504</u> <u>302520</u>	<u>58284</u> 291420	2220	11100
26.		<u>89 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	23313000 वाणिज्यिक	<u>93252</u> <u>466260</u>	<u>10867</u> 54336	82385	411924
27.		<u>99 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	6553200 आवासीय	<u>131064</u> <u>655320</u>	<u>64284</u> 321420	66780	333900
28.		<u>34 / ए-2</u> 2014-15	पिपरिया	43134000 आवासीय	<u>95868</u> <u>479340</u>	<u>54184</u> 208420	41684	270920

29.	तहसील कुरवई	<u>23/ए-2</u> 2013-14	हिनोता	826920 वाणिज्यिक	<u>2888</u> 14438	<u>5016</u> 12540	0	1898
30.		<u>28/ए-2</u> 2013-14	केशवपुर	212550 वाणिज्यिक	<u>850</u> 4251	<u>1500</u> 3750	0	501
31.		<u>25/ए-2</u> 2013-14	कुरवई	5994975 आवासीय	<u>11990</u> 59949	<u>6688</u> 25080	5302	34869
योग							462436	1936421
महायोग							23,98,677	

©
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in